#### भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथी पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - I, मुम्बई



**INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT** OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER. AUDIT BOARD-I, MUMBAI

गोपनीय/शीघ डाक संख्या: जी ए/ सी ए-I/NEIA/लेखा/2018-19/ I पा

सेवा में.

प्रबंध न्यासी एन ई आई ए ट्रस्ट C/o ई सी जी सी लिमिटेड. एक्सप्रेस टावर्स, 10 वी मंजील, नरीमन पाईंट, मुम्बई 400 021

13 1 DEC 2019

विषय:- 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेत् एन ई आई ए ट्रस्ट के वित्तीय विवरणो पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र ।

महोदय,

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतू एन ई आई ए ट्रस्ट के वित्तीय विवरणो पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

कृपया इस पत्र एवं संलग्नकों की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,

That at about my

(पी. वी. हरि कृष्णा) प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड -I, मुंबई

संलग्नः यथोपरि ।

Regn. No.

सातवी मंजिल, आर.टी.आई. बिल्डिंग, प्लॉट नं. सी-2, जी.एन. ब्लॉक, एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट के पीछे, बान्द्रा-कुँली कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. Seventh Floor, R.T.I. Building, Plot No. C-2, G.N. Block, Behind Asian Heart Institute, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 : +91 22 26520873 ● प्रतिवेदन : +91 22 26502843 ● फॅक्स : +91 22 26827165 ● ई-मेल : mabMumbai1@cag.gov.in

101 22 265028/13 e Fav

+01 22 26827165 a Fmail

#### **AUDIT CERTIFICATE**

I have audited the attached Balance Sheet of NEIA TRUST as at 31 March 2019 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date. Preparation of these financial statements is the responsibility of the management of NEIA TRUST. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I have conducted my audit in accordance with applicable rules and the auditing standards generally accepted in India. These standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

Based on our audit, I report that:

- 1. I have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- 2. I report that the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account are properly drawn up and are in agreement with the books of accounts.
- 3. In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me:
- (i) the accounts give the information required under the prescribed format of accounts;
- (ii) the said Balance Sheet, Income and Expenditure Account read together with the Accounting Policies and Notes thereon give a true and fair view.
  - a. In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the NEIA TRUST as at 31 March 2019 and
  - b. In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

(P V Hari Krishna)

Principal Director of Commercial Audit and ex-officio Member Audit Board-I, Mumbai

Place: Mumbai.
Date: 31.12.2019



## बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की उप धारा (2) की धारा 33 व 34 एवं नियम 19 के अधीन लेखा परीक्षित लेखों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

पंजीकरण सं . E-23382 (**मुंबई**)

सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम : एन ई आई ए ट्रस्ट

वर्ष : 31st मार्च, 2019

| ক.     | क्या लेखों का रखरखाव अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार          | हाँ                 |
|--------|--|---------------------|
|        | किया जा रहा है;  |                     |
| <br>ख. | क्या प्राप्तियों एवं वितरणों को सही एवं उचित रूप से लेखों में दर्शाया जा | हाँ                 |
|        | रहा है;  |                     |
| ग.     | क्या लेखा परीक्षा के दिन प्रबन्धक अथवा न्यासी के पास उपलब्ध नकद          | हाँ                 |
|        | शेष एवं वाउचर लेखों से मेल खा रहे थे ;                                   | L                   |
| घ.     | क्या लेखापरीक्षक द्वारा अपेक्षित सभी पुस्तकें, विलेख, लेखा, वाउचर अथवा   | हाँ                 |
|        | अन्य दस्तावेज अथवा अभिलेख उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे;                 |                     |
| ङ.     | क्या चल एवं अचल संपत्तियों के लिए रजिस्टर रखा गया है एवं उसमें होने      | ट्रस्ट के पास कोई   |
|        | वाले संशोधनों के विषय में समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित         | अचल संपत्ति नहीं है |
|        | किया जाता रहा है, एवं क्या पिछली लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में उल्लिखित    |                     |
|        | दोषों और अशुद्धियों का विधिवत अनुपालन किया गया है;                       |                     |
| 휙.     | क्या लेखापरीक्षक द्वारा , प्रबंधक अथवा न्यासी अथवा किसी अन्य व्यक्ति     | हाँ                 |
|        | से , उसके समक्ष उपस्थित होना अपेक्षित था एवं संबंधित व्यक्ति द्वारा      |                     |
|        | इस प्रकार की अपेक्षा पूर्ण की गयी थी एवं लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित    |                     |
|        | आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की गयी;  |                     |
| छ.     | क्या ट्रस्ट की कोई संपत्ति अथवा निधि का उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों के    | नहीं                |
|        | अतरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया था;                           |                     |
| ज.     | एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया राशि एवं बट्टे खाते में डाली गई राशि,       | कुछ नहीं            |
|        | यदि कोई हो;  |                     |
| झ.     | क्या 5000/- रु से अधिक के मरम्मत अथवा निर्माण के लिए निविदाएं            | लाग् नहीं           |
|        | आमंत्रित की गई थीं   |                     |
| স.     | क्या लोक न्यास की किसी राशि का धारा 35 के प्रावधानों के विपरीत कहीं      | नहीं                |
|        | अन्यत्र निवेश किया गया है;   |                     |
| ₹.     | धारा 36 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत किसी अचल संपत्ति का            | कुछ नहीं            |
|        | हस्तांतरण, यदि कोई हो, किया गया है जो लेखापरीक्षक के संज्ञान में आया     |                     |
|        |  |                     |

|    | हो;   |               |
|----|---|---------------|
| ਠ. | अनियमित, अवैध अथवा अनुचित व्यय अथवा सार्वजनिक ट्रस्ट से संबंधित       | कुछ नहीं      |
|    | धन अथवा कोई अन्य संपत्ति की वसूली में विफलता अथवा चूक अथवा धन         |               |
|    | अथवा अन्य संपत्ति की हानि अथवा क्षति के सभी मामले, एवं क्या इस        |               |
|    | प्रकार के व्यय, विफलता, चूक, हानि अथवा क्षति , ट्रस्ट के प्रबंधन हेतु |               |
|    | नियुक्त ट्रस्टियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से विश्वास के         |               |
|    | उल्लंघन अथवा दुराचार अथवा किसी अन्य कदाचार के परिणाम स्वरूप           |               |
|    | हुआ है;   |               |
| ਫ. | क्या नियम 16ए के जरिये उपलब्ध कराए गए फॉर्म में बजट की प्रस्तुति      | नहीं          |
|    | की गयी है;  |               |
| ढ. | क्या न्यासियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या को बनाए रखा जाता है;      | हाँ           |
| ण. | क्या इस तरह के साधन में उल्लिखित अनुसार बैठकें नियमित रूप से          | हाँ           |
|    | आयोजित की जाती हैं;   |               |
| त. | क्या बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त पुस्तकों का उचित रखरखाव किया     | हाँ           |
|    | जाता है;  |               |
| थ. | क्या न्यासियों में से किसी न्यासी का न्यास के निवेश में कोई हित निहित | नहीं          |
|    | है;   |               |
| द. | क्या कोई न्यासी, न्यास का ऋणी उधारकर्ता अथवा लेनदार है;               | नहीं          |
|    |   | <u> </u>      |
| ध. | क्या पिछले वर्ष के लेखाओं में लेखापरीक्षकों द्वारा इंगित अनियमितताओं  | ाकया जा रहा ह |
|    | का वर्तमान लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान न्यासियों द्वारा विधिवत      |               |
|    | अनुपालन किया गया है;  |               |
| न. | कोई अन्य विशेष मामला जिसे लेखापरीक्षक को उप अथवा सहायक चैरिटी         | कुछ नहीं      |
|    | आयुक्त के ध्यान में लाना उचित अथवा आवश्यक लगे;                        |               |

कृते

एल एन मारू & कं सनदी लेखाकर फ़ार्म पंजीकरण सं .: 106069W

हस्ताक्षरित

सी ए एल एन मारू भागीदार

सदस्यता सं .: - 033246

स्थान : मुंबई

दिनांक :- 23/09/2019

यू डी आई एन : 19033246 एएएएडी

3064





#### Chartered Accountants

220, Wadala Udyog Bhavan, MMGS Marg, Dadar-Wadala, Mumbai - 400 031. Office: 022-2412 2382 Email: info@calnmaru.com | Website: www.calnmaru.com

Report of an auditor relating to accounts audited under sub-section (2) of section 33 & 34 and rule 19 of the Bombay Public Trusts Act.

Registration No. E-23382 (MUMBAI)

Name of the Public Trust: NEIA TRUST

For the year ended: 31st March, 2019.

| (a) | Whether accounts are maintained regularly and in accordance with the provisions of the Act and the rules;   | YES                        |
|-----|---|----------------------------|
| (b) | Whether receipts and disbursements are properly and correctly shown in the accounts;  | YES                        |
| (c) | Whether the cash balance and vouchers in the custody of the manager or trustee on the date of audit were in agreement with the accounts;  | YES                        |
| (d) | Whether all books, deeds, accounts, vouchers or other documents or records required by the auditor were produced before him;  | YES                        |
| (e) | Whether a register of movable and immovable properties is properly maintained, the changes therein are communicated from time to the regional office, and the defects and inaccuracies mentioned in the previous audit report have been duly complied with;   | THERE ARE NO FIXED ASSETS. |
| (f) | Whether the manager or trustee or any other person required by the auditor to appear before him did so and furnished the necessary information required by him;   | YES                        |
| (g) | Whether any property or funds of the Trust were applied for any object or purpose other than the object or purpose of the Trust;  | NO                         |
| (h) | The amounts of outstanding for more than one year and the amounts written off, if any;  | NIL                        |
| (i) | Whether tenders were invited for repairs or construction involving expenditure exceeding Rs. 5000/-;  | NA                         |
| (j) | Whether any money of the public trust has been invested contrary to the provisions of Section 35;   | NO                         |
| (k) | Alienations, if any, of the immovable property contrary to the provisions of Section 36 which have come to the notice of the auditor;   | NIL                        |
| (1) | All cases of irregular, illegal or improper expenditure or failure or omission to recover monies or other property belonging to the public trust or loss or waste of money or other property thereof, and whether such expenditure, failure, omission, loss or waste was caused in consequence of breach of trust or misapplication or any other misconduct on the part of the trustees or any other person while in the management of the trust; | NIL                        |
| (m) | Whether the budget has been filed in the form provided by rule 16A;   | NO                         |
| (n) | Whether the maximum and minimum number of the trustees is maintained;   | YES                        |
| (0) | Whether the meetings are held regularly as provided in such instrument;   | YES                        |
| (b) | Whether the minute books of the proceedings of the meeting is maintained;   | YES                        |
| (q) | Whether any of the trustees has any interest in the investment of the trust;  | NO                         |
| (r) | Whether any of the trustees is a debtor or creattor of the trust;   | NO                         |
|     |   |                            |

| (s) | Whether the irregularities pointed out by the auditors in the accounts of the previous year have been duly complied with by the trustees during the period of audit; | Being attended to |
|-----|--|-------------------|
| (t) | Any special matter which the auditors may think fit or necessary to bring to the notice of the Deputy or Assistant Charity Commissioner;                             | NIL               |

For L N Maru & Co. **Chartered Accountants** 

Membership No.: - 033246

CA L N Maru

Partner

Firm Registration No.: 106069W

MUMBAI

Place:- Mumbai Date:- 23/09/2019

UDIN: 19033246AAAAAD3064

रिज नं. Regn. No.

# THE STANTED ST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06 Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

दिनांक 23 सितंबर 2019 को ट्रस्टियों के मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट के आय के संचय को अपनाने के लिए परिचालन द्वारा जारी संकल्प ।

विषय : ट्रस्ट के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाँच वर्षों की अवधि यथा मार्च 2024 तक के लिए ट्रस्ट के आय का संचय एवं निर्धारण

#### संकल्प

"संकल्प किया गया कि एन ई आई ए ट्रस्ट (ट्रस्ट) की आय से निम्नलिखित उद्देश्य से 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 0/- (कुछ नहीं) की राशि का संचय कर दिनांक 31.03.2024 तक अलग रखा जाये:

- 1. राष्ट्रीय हित वाले मध्यम एवं दीर्घ अवधि के निर्यातकों की सुविधा के लिए एन ई आई ए योजना को कार्यान्वित करना।
- 2. समय समय पर भारत सरकार द्वारा मध्यम एवं दीर्घ अविध के निर्यातकों के लिए निर्मित एवं ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित योजनाओं एवं इस प्रकार की अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन।
- 3. समय समय पर भारत सरकार द्वारा अपल्पाविध के निर्यातकों के लिए निर्मित एवं ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित योजनाओं एवं इस प्रकार की अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन।

"आगे संकल्प किया गया कि उक्त अनुसार संचित एवं अलग रखे गए आय को आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अधीन निर्धारित अनुसूचित बैंकों में मियादी जमाओं में निवेश किया जाएगा।"

| श्री एम सेंथिलनाथन प्रबन्धक ट्रस्टी | हस्ताङ्गारव |
|-------------------------------------|-------------|
| श्रीमती गीता मुरलीधर , ट्रस्टी      | हस्ताक्षरित |
| श्री डेविड रस्किना , ट्रस्टी        | हस्ताक्षरित |

NEIA Trust C/O ई.सी.जी.सी लि., (भारत सरकार का उद्यम ) - पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंज़िल, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400 021.

Regd.Office: C/o ECGC Limited "formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited" (A Govt. of India Enterprise), Express Towers, 10<sup>th</sup> floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. फोन/ Tel: 022-66590500-09, फैक्स/Fax:022-66590517/522; www.ecgcindia.com



## THE STATE TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06 Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

Resolution by circulation for the adoption of Accumulation of income of the NEIA Trust for the FY 2018-19 by the Board of Trustees on 23<sup>rd</sup> September, 2019.

Subject: Accumulation and setting of income of the Trust for a period of five years, i.e. upto March, 2024 for utilization towards the specified objects of the Trust.

#### Resolution:

"RESOLVED THAT a sum of Rs. 0/- (Rupees Nil Only) to be accumulated and set apart upto 31/03/2024 out of the income of the NEIA Trust ("The Trust") for the year ended 31st March 2019 for the following purpose:

 To implement the NEIA Scheme for the benefit of Medium and Long term Exporters in National Interest.

2. To implement such other schemes for the benefit of Medium and Long term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.

3. To implement such other schemes for the benefit of Short Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.


"RESOLVED FURTHER THAT the income accumulated and set apart as above shall be kept invested in the Fixed Deposits with the Scheduled Banks specified u/s 11(2) of the Income Tax Act, 1961."

Shri. M. Senthilnathan, Managing Trustee

Smt. Geetha Muralidhar, Trustee

Shri David Rasquinha, Trustee

Coettycaeeeal



NEIA Trust C/O ई.सी.जी.सी लि., (भारत सरकार का उद्यम) - पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंज़िल, नरीमन पॉईट, मुंबई-400 021. Regd.Office: C/o ECGC Limited "formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited" (A Govt. of India Enterprise), Express Towers, 10<sup>th</sup> floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. फोन/ Tel: 022-66590500-09, फैक्स/Fax:022-66590517/522; www.ecgcindia.com

Regn. No.

## VA \$ M\$ V ZFC N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06 Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

दिनांक 23 सितंबर 2019 को ट्रस्टियों के मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट के वार्षिक लेखों को अपनाने के लिए परिचालन द्वारा जारी संकल्प।

संकल्प:

"संकल्प किया गया कि दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट के लिए वार्षिक लेखों में 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखों एवं 31 मार्च 2019 तक के तुलन पत्र को एतदद्वारा ट्रस्टियों के मण्डल द्वारा अपनाया गया।"



### TA Ş MŞ T ZFC N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06 Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

Resolution by circulation for the adoption of annual accounts of NEIA Trust for the FY 2018-19, by the Board Of Trustees on 23<sup>rd</sup> September,2019.

Resolution:

£, :

\$

"RESOLVED THAT the annual accounts of the NEIA Trust for the year ended 31st March 2019 consisting of income & Expenditure Accounts for the period ended 31st March 2019 and Balance Sheet as on 31st March 2019, be and hereby adopted by the Board Of Trustees."

Shri. M. Senthilnathan, Managing Trustee

Smt. Geetha Muralidhar, Trustee

Shri David Rasquinha, Trustee

Gattergeneurali





अनुसूची - VIII नियम 17 (1) देखें ]

T.

सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम, एनईआईए ट्रस्ट

मियम 17 (1) देखें [

दिनांक 31/03/2019 तक का तुलन पत्र

पंजीकरण सं . : E 23382

2,51,635 43,72,95,27,263 7,31,79,89,116 1,71,16,86,512 34,69,96,00,000 सिंग रु में 5,08,69,18,758 2,06,00,000 17,10,70,359 सिंग रु में ज्ञण ( मुरक्षित एवं असुरक्षित ) : ( गोध्य एवं अगोध्य ज्ञण ) ज्ञण खात्रवृत्ति संपत्ति एवं आस्तियां कल योग नकद एवं वैंक श्रेष (क) क्षेपीशत वैंक के पास चालू खाते में कर्नाचर एवं पितसायराः-पिराजे तुवन पर के अनुसार शेष भू.30.87.96,743 वर्ष के तीम प्राथन परायं : यो के तीम बिजी अपतील पूल्यता 2,13,83,77,642 विविध वैंकों के पास मियादी जमा अचल संपति विषये तुस्त पत्र के अनुसार शेष 27,91,00,00,000 वर्ष के दीरान परिवर्षन पदार्ष : वर्ष के दीरान जिकी (ख) त्यासियों के पास (ग) प्रबन्धक के पास अग्रिम कर भुगतान अधिम :- व्यासियों को
क्षिमीं को
देकेदामों को
वकीलों को
अन्यों को पूर्व प्रदत्त व्यय अन्य अधा 4,37,23,52,877 किराया 43,72,95,27,263 सिंग रु में 3,00,00,00,000 40,09,64,008 4,23,96,209 37,47,536 1,05,894 3,95,03,276 2,84,98,98,851 (71,15,21,209) सक्षि हु में ट्रस्ट के प्रावधानों , समझौतों अथवा योजना अथवा आय के अधीन निर्मित ) कुल योग अधिमों हेतुं स्वान्यांत की आरं से गारदी युल्क अन्यांत को आरं से गारदी युल्क आरं अपनीट अधिमां गार्थ हुं का अधिमां गार्थ हुं प्रवचना अधिसक मार्थ में हुं हुं विवास का आरं हो हुं देश तीम मा क्र कटोनी विवास एक कटोनी बोहें: आय एवं व्यय खाते के अनुसार अधिशेष (पाटा) ँलोक न्यास प्रशासन कोप को देव अंशदान लेबित रावों हेतु प्रावधान ाछले तुलन पत्र के अनुसार शेष जोड़ें : बर्ग के दौरान प्राप्त वापसी योग्य निधि मूल्यहास निर्ध ऋण शोपन निर्धि प्रायक्षित निर्धि - विशेष प्रापक्षित निर्धि अनमेक्षित लोखिमों हेतु प्रापक्षित निधियाँ आप एवं व्यय खाता पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष घटाएँ : विनियोग , यदि कोई हो तो कण ( सुरक्षित एवं असुरक्षित ) न्यासियों की ओर से अन्यों की ओर से ट्रस्ट की निधि अथवा कॉर्पस अन्य निर्धातित निधियाँ :-

उक्त तुत्तन एव में हमारे सर्वोत्तम विशास के अनुसार में निधियों एवं देयताओं एवं दूस्ट की संपत्ति और संपत्ति का उच्ति विवसण उपलब्ध है।

हस्ताधारित

कृते एन ई आई ए ट्रस्ट

हस्ताक्षारेत

(गीता मुल्लीपर ) न्यासी

लीपर ) ती

(एम सेंबिलनाधन ) न्यासी

(डेविड रस्किन ) न्यासी

हस्ताक्षरित

23.33.2 P

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार कृते एल एन मारू एंड कं सन्दी लेखाकर सर्ग पंत्रीकरण सं 106069W

हस्ताक्षरित

(एल एन मारू ) भागीवार - M. No. 033246

दिनांक : 23/09/2019

स्थान : मुंबई

SCHEDULE - VIII [Vide Rule 17 (I)]

|  | Amounts in Rs   | Amounts in Rs   | PROPERTY & ASSETS  | Amounts in Ics | Amounts in its  |
|--|-----------------|-----------------|--|----------------|-----------------|
| rusts Funds or Corpus :- Ralance as ner last Balance Sheet                         | 24,91,00,00,000 |                 | Immovable Properties :-<br>Balance as per last Balance Sheet                     |                |                 |
| Add: Refundable fund received during the year                                      | 3,00,00,00,000  | 27,91,00,00,000 | Additions during the year<br>Less : Sales during the year                        |                | 18              |
| Other Earmarked Funds :-   | •1              |                 | Depreciation up to date  |                |                 |
| (Created under the provisions of the trust deed or scheme or out of the Income)    |                 |                 | Investments :-   |                |                 |
| Depreciation Fund<br>Sinking Fund  |                 |                 |  |                |                 |
| Reserve Fund   |                 |                 |  |                |                 |
| Any Other Fund- Special Reserve  |                 | 9,30,87,96,743  | 9,30,87,90,743 Furniture & Fixtures :- Balance as per last Balance Sheet         |                |                 |
| coans (Secured or Unsecured):-<br>From Tustees                                     |                 | 11              | Additions during the year Less: Sales during the year Depreciation up to date    |                |                 |
| From Others  |                 |                 |  |                |                 |
| Liabilities :-<br>POr Expenses<br>Portable Due to Public Trust Administration Fund | 40,09,64,008    | 24              | Loans (Secured or Unsecured): Good/doubtful<br>Loans Scholarships<br>Other Loans |                |                 |
| Provision for Claim  | 50,66,25,005    |                 | Advances   |                |                 |
| For Advances Guarantee Fees from ECGC  | 4,23,96,209     |                 | To Trustees  |                |                 |
| Guarantee Fees from Others Guarantee Fees reserved in advance but not allocated    | 3,37,90,10,949  |                 | To Contractors   |                |                 |
| For Rent & Other Deposits  |                 |                 | To Lawyers<br>To Others  |                |                 |
| For Sundry Credit Balances TDS Payable   | 37,47,536       |                 | Prepaid Taxes  | 5,08,69,18,758 |                 |
| Sundry Creditors Payable to ECGC   | 1,05,894        | 4,37,23,52,877  | Advance 1 ax payment Prepaid expenses  | 17,10,70,359   | 7,31,79,89,116  |
| Reserve for Unexpired Risks  |                 |                 | Income Outstanding :-<br>Rent  |                |                 |
| Income and Expenditure Account :-<br>Dalance as we lest Relater Sheet              | 2,84,98,98,851  |                 | Interest<br>Other Income   |                | 1,71,16,86,512  |
| Less: Appropriation, if any  |                 |                 | 0  |                | 307.330         |
| Add: Surplus (Deficit) as per Income and Expenditure Account                       | -71,15,21,209   | 2,13,83,77,642  |  |                | 2,51,635        |
|  |                 |                 | In Fixed Deposit Account with various banks                                      |                | 34,69,96,00,000 |
|  |                 |                 | (b) With the Trustee   |                | 7               |
|  |                 |                 | (c) With the Manager   |                |                 |
|  |                 |                 | Late T.  |                | 43,72,95,27,263 |

For NEIA Trust The above Balance Sheet to the best of our belief contains a true account of the Funds and Liabilities and of the Property and Assets of the Trust.

As per our report of even date,
For LN Maru & Co
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 106(469W

(M. Senthilnathan) Trustee

\$ 27382 \

Duted: 23/03/2019 Place: MUMBAI

É

1.7.3

अत्स्त्यी - IX नियम 17 (1) देखें |

सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम: एनईआईए ट्रस्ट

दिनांक 31/03/2019 तक का आय व्यय खाता

पंजीकरण सं . : E 23382

| सप्तियों के संबंध में ट्यार<br>को. दा एवं उपकार<br>सम्म एवं रखरवान<br>केमन   |             |                |   |                |                |
|--|-------------|----------------|---|----------------|----------------|
| मणनीयों के सर्वध में क्या<br>हो, दा एवं उपकार<br>मणना एवं एकारणन   |             |                |   |                |                |
| प्रणामियों के सबस में क्या<br>की, वा एवं उपकार<br>सम्मत एवं राजस्वान   |             |                |   |                |                |
| हो, दा एवं उपसार<br>केम्पन एवं स्वरक्षान   |             |                | किराये द्वारा                                     |                |                |
| गरमत एवं रखरखान<br>मन  |             |                | उपित  |                |                |
|  |             |                | वसूल  |                |                |
|  |             |                |   |                |                |
| बीपा   |             |                |   |                |                |
| मृत्यहास   |             |                | ज्यान द्वारा                                      |                |                |
| अन्य व्या  |             |                | उपचित   |                |                |
| स्थापना व्यय से संबन्धित   |             |                | सावधि जमा   | 1,71,16,86,512 |                |
| न्यासियों हेत् पारिश्रमिक से संबन्धित  |             | 9/             |   |                |                |
| पारग्रमिक हेत् ( गणना के मामले में )   |             |                |   |                |                |
| प्रधानम् प्रभार  |             | 25,00,743      | बसुल  |                |                |
| प्रशासनिक व्यय हेत्  |             |                | सावधि जमा   | 55.82.38.511   |                |
| प्रशासनिक प्रभार   | 3,62,28,529 |                | सावधि जमा पर कर कटौती                             | 29,20,79,182   |                |
| लोक न्यास प्रशासन कोष में अंशदान   | 9,42,59,627 | 13,04,88,156   |   | 9,48,80,638    | 2,65,68,84,843 |
|  |             |                | in juni   |                |                |
| निधिक व्यय हेत   |             |                | the Hodge   |                |                |
|  |             |                | वैक खाते पर                                       |                |                |
| लेबित दावों हेत् प्रायथान के लिए   |             | 5,31,71,30,656 | V-Minus (1924) (1974)                             |                |                |
| and with more has  |             |                | लाभाश पर  |                |                |
| राजा नावा नीयन हो।   |             |                |   |                |                |
| वैंक शल्क हेत  |             | 1,735          |   |                |                |
| 5  |             |                | अन्दान द्वारा                                     |                |                |
| अंशदान एवं शुल्क हेत्  |             |                |   |                |                |
| वड़े खाते में डाली गयी ताग़ि हेत्  |             |                | अन्य स्रोत से आय द्वारा (बधा संभव विवसण दर्शाएँ ) |                |                |
| अशोध्य म्हण  |             |                |   |                |                |
| अग्ण छात्रवृत्तियाँ  |             |                | प्रारक्षित निधि से अंतरण द्वारा                   |                |                |
| अपरिवर्तनीय ऋण   |             |                |   |                |                |
| अन्य महे   |             |                |   |                |                |
|  |             |                | प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा                       |                |                |
| विविध व्यव हेत्  |             | 1,315          | ईसीजीसी   | 3,54,79,602    |                |
| मूल्यहाम हेत्  |             |                | अन्य  | 55,45,50,669   | 59,00,30,271   |
| आरक्षित अधवा विशिष्ट निर्धि में स्थानीतीत राशि हेत्  |             |                |   |                |                |
|  |             |                | दाना ममूली द्वारा                                 |                | 10,01,647      |
| ट्रस्ट के उद्देश्य पर ब्यय होत :-  |             |                |   |                |                |
| A PER  |             |                | दावी हत् प्रावधाना क विषयत द्वारा                 |                | 1,45,46,47,926 |
| शिक्षांक   |             |                | 4   |                | 1              |
| चित्रस्यकान् १६६०  |             |                | वास्त । क्षेत्रं । ते । वावत अब                   |                | 07,421         |
| Actual close   |             |                |   |                |                |
| בייני מוניבול מייני מיינ |             |                | अगवकर बापमी पर ब्यान                              |                | 3 50 60 280    |
| तुलन पत्र में ले जाया गया अधिशेष   |             |                | तुलन पत्र में आगे लाया गया घाटा                   |                | 71,15,21,209   |
|  |             |                |   |                |                |
| कुल योग  |             | 5,45,01,22,605 | कुल योग   |                | 5,45,01,22,605 |

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार कृते एल एन पाक पृंड क सनदी लेखाकर कृमें पंजीकरण सं 106069W

हस्ताक्षरित

(एल एन मारू ) भागीदार - एम सं. 033246

(एम सेधिलनाथन ) न्यासी

(डेबिड रस्किना ) न्यासी

Regn. No.

(गीता म्एलीघर ) न्यासी

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षारित

कृते एन ई आई ए ट्रस्ट

दिनाक : 23/09/2019 स्थान : मृंबई

#### SCHEDULE - IX [ Vide Rule 17 (1) ]

Name of the Public Trust : NEIA Trust

Registration No.- E 23382
and Expenditure Account for the year ending 31st March 2019

| EXPENDITURE  | Amounts in Rs | Amounts in Rs       | INCOME                                     | Amounts in Rs  | Amounts in Rs             |
|--|---------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
|  |               |                     |  |                |                           |
| o Expenditure in respect of properties :-  |               |                     | By Rent                                    |                |                           |
| Rates, Taxes, Cesses   |               |                     | Accrued                                    |                |                           |
| Repairs and maintenance  | 1             |                     | Realised                                   |                |                           |
| Salaries   |               |                     |  | 1              |                           |
| Insurance  | }             |                     |  | 2.0            |                           |
| Depreciation   |               |                     | By Interest                                |                |                           |
| Other Expenses   |               |                     | Accrued On                                 |                | 0                         |
| o Establishment Expenses   |               |                     | Fixed Deposits                             | 1,71,16,86,512 |                           |
| To Remuneration to Trustees  |               |                     |  |                |                           |
| To Remuneration( In the case of a math)  |               |                     |  |                |                           |
| To Consultancy Charges   |               | 25,00,743           | Realised On                                |                |                           |
| To Administrative expenses:  |               | THE EAST OF PACTORS | Fixed Deposits                             | 55,82,38,511   |                           |
| Administration Charges   | 3,62,28,529   |                     | TDS on Fixed Deposits                      | 29,20,79,182   |                           |
| Contribution to Public Trust Administration Fund   | 9,42,59,627   | 13,04,88,156        | Income Tax Refund                          | 9,48,80,638    | 2,65,68,84,843            |
| Contribution to Public Hast Administration Falls   | 2,12,23,22    | 1                   |  |                |                           |
|  |               |                     | On Loans                                   |                |                           |
| To Legal Expenses  |               |                     |  |                |                           |
| = 120 I  |               | 5,31,71,30,656      | On Bank account                            |                |                           |
| To Claims  |               | 3,51,71,50,050      | On Dank account                            |                |                           |
|  |               |                     | By Dividend                                |                |                           |
| To Audit Fees  | 1             |                     | by Dividend                                |                |                           |
|  |               | 1 735               | By Donation in Cash or Kind                |                |                           |
| To Bank Charges  |               | 1,755               | By Dollation in Cash of Tellia             |                |                           |
|  |               |                     | D. Courts                                  |                |                           |
| To Contribution and Fees   |               |                     | By Grants                                  | 1              |                           |
| To Amount Writeen Off-   |               |                     |  |                |                           |
|  |               |                     | By Income From Other Source (In details as |                |                           |
| Bad Debts  |               |                     | far as possible)                           |                |                           |
| Loan Scholarships  |               |                     | D T  |                |                           |
| Irrecovarble Rents   |               |                     | By Transfer from Reserve                   |                |                           |
| Other Items  |               | 1 216               | By Guarantee Fees Received                 |                |                           |
| To Miscellaneous Expenses  |               | 1,313               | ECGC                                       | 3,54,79,602    |                           |
| To Depreciations   |               |                     | Others                                     | 55,45,50,669   | 59,00,30,27               |
| To Amounts Transferred to Reserve or Specific Funds  |               | 1                   | Others                                     |                | 5000 SON \$500 SON \$500. |
| and the second of the second o | 1             |                     | By Claim Recovery                          |                | 10,01,64                  |
| To Expenditure on object of the Trust :-   |               |                     |  |                | 19                        |
| Religious  |               |                     | By Reversal of Provision for claims        |                | 1,45,46,47,92             |
| Educational Medical Relief   |               | 1                   |  |                | 100 10 5 31               |
| Relief of poverty  |               |                     | By Sundry Balances Written Back            |                | 67,42                     |
| Other Charitable objects   |               |                     |  |                |                           |
| Other Charitable objects   |               | 1                   |  | -              |                           |
|  |               |                     | By Prior Period Income                     |                |                           |
|  |               |                     | Interest on IT Refund                      |                | 3,59,69,28                |
|  | 1             |                     |  |                |                           |
| 4  | 1             |                     |  |                | 71 15 21 20               |
| To Surplus carried over to Balance Sheet   |               |                     | By Deficit Carried over Balance Sheet      | 6 0            | 71,15,21,20               |
| 7 2  | 1             | 1                   |  |                | 5,45,01,22,60             |

(M. Senthilnathan)

Dated: 23/09/2019 Place: MUMBA!

Ž-1

For NELA Trust

dia d. Hera tio.

(Geetha Muralidhar) Trustee

As per our report of even date, For L N Maru & Co Chartered Accountants Firm Regn. No. 1860693W

Partner - M. No. 033246

MARU&



31/03/2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए योगदान के लिए दायी सार्वजनिक ट्रस्ट की आय का विवरण

सावंजनिक ट्रस्ट का नाम और पंजीकृत सं. 🐺 एन ई आई ए ट्रस्ट

पंजीकृत सं. :- E 23382

|        |       |   | Rs.         | Rs.           |
|--------|-------|---|-------------|---------------|
|        |       | आय को आय एवं व्यय खाते (अनुसूची IX) में दिखाया गया है   |             | 4,73,86,01,39 |
|        |       | धारा 58 और नियम 32 के तहत योगदान करने के लिए आवश्यक नहीं  |             |               |
| 0      |       | अन्य सार्वजनिक ट्रस्ट और धर्मदास से प्राप्त हुआ दान   |             |               |
| (6)    |       | सरकार और स्थानीय प्राधिकारों से प्राप्त अनुदान  |             |               |
| (iii)  |       | हूब या मूल्यहास निधि पर ब्याज   |             |               |
| (iv)   |       | धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के उददेश्य से खर्च की गई राशि   |             |               |
| (v)    |       | चिकित्सा राहत के उद्देश्य से खर्च की गई राशि  |             |               |
| (vi)   |       | पशुओं के पशु चिकित्सा के उद्देश्य से खर्च की गई राशि  |             |               |
| (vii)  |       | विखराव से उत्पन्न संकट से राहत के लिए दान से किया गया व्यय।<br>सूजा, बाद, आग या अन्य वाकृतिक आपदा               |             |               |
| (viii) |       | कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि से होने वाली आय में से कटौती  |             |               |
|        | (ৰূ)  | भू-राजस्व और स्थानीय निधि उपकर  |             |               |
|        | (ভ)   | वेहतर मकान मालिक को देय किराया  |             |               |
|        | (ग)   | उत्पादन की लागत अगर ट्रस्ट द्वारा भूमि की खेती की जाती हैं  |             |               |
| (bt)   |       | गैर कृषि प्रयोजन से उपयोग की जाने वाली भूमि से होने वाली आय में से कटौती -                                      |             |               |
|        | (ক)   | मूल्यांकन, उपकर और अन्य सरकारी या नगरपातिका कर  |             |               |
|        | (য়া) | मकान मालिक को देय जमीन का किराया  |             |               |
|        | ( ग)  | बीमा पीमियम   |             |               |
|        | (ਬ)   | इमारतों के सकल किराए का 10 प्रतिशत मरम्मत पर  |             |               |
|        | (\$)  | भवन के सकल किराए का 4 प्रतिशत संग्रह की लागत की समाप्ति तक  |             |               |
| (x)    |       | ऐसी आय का एक प्रतिशत पर प्रतिभृतियाँ, स्टाँक आदि से आय के संग्रह या प्राप्ति की लागत<br>रूपये की क्याज आय का 1% |             |               |
| - 1    |       | 2.56.20.04.204.97   | 2,56,20,042 |               |
| (xi)   |       | किराए पर नहीं और इमारतों के संबंध में मरम्मत के कारण कटौती  |             |               |
|        |       | अनुमानित सकल वार्षिक किराए का 10 प्रतिशत आय पर आय   |             | 2,56,20,04    |
|        |       | सकल वार्षिक आय योगदान के लिए प्रभार्य   |             | 4,71,29,81,35 |
|        |       | पारा 58 की उपधारा (1) के तहत निर्धारित दर पर योगदान की राशि और योगदान की कुल वार्षिक आय का 2%<br>देय            |             | 9,42,59,62    |

"प्रमाणित किया गया है कि उपलेक्त अनुसूची के तहल स्वीकार्य कटीती का दावा करते हुए, हमने अनुसूची में उल्लिखित किसी भी वस्तु के विरूद्ध दो बार पूर्ण या आशिक रूप से किसी भी राशि का दावा नहीं किया है, जिसमें टोहर कटीती का प्रभाव है।"

कृते एन ई आई ए ट्रस्ट

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

enti क तांक के तिर्दे क अनुवात कृते एल एन मारू & कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या . 106069 W

हस्ताक्षरित

(डेविड रस्किना)

एल एन मारू भागीदार एम सं . 033246

(एम संचिवतायम) (गीता मुरतीयर) हुन्दी हुन्दी हुन्दी दिनांक 23-09-2019 स्थान मुंबई एम हं आहं प हुन्द टोठ इंसीजीसी तिमिटेड, 10वीं मंजिन, एस्सपेस टॉवर्स, मरीमन पॉइंट, मुंबई 400021



Statement of income of the public trust liable to contribution for the year ended 31/03/2019

Name and Registered No of Public Trust : NEIA TRUST

Regn. No.:- E 23382

|   |        | _    |  | Rs.         | Rs.            |
|---|--------|------|--|-------------|----------------|
| ı |        |      | Income is shown in the Income and Expenditure Account (Schedule IX)  |             | 4,73,86,01,397 |
| п |        |      | Items not chargeable to contribution under section 58 and rule 32  |             |                |
|   | (i)    |      | Donations received from other public trust and Dharmads  |             |                |
|   | (ii)   |      | Grant received from Government and local authorities   |             |                |
|   | (iii)  |      | Interest on Sinking or Depreciation Fund   |             |                |
|   | (iv)   |      | Amount spent for the purpose of secular education  |             |                |
|   | (v)    |      | Amount spent for the purpose of medical relief   | v.          |                |
|   | (vi)   |      | Amount spent for the purpose of veterinary treatment of animals  |             |                |
|   | (vii)  | 3.   | Expenditure incurred from donations for relief of distress caused by scarcity. drought, flood, fire or other natural calamity                              |             | 167            |
|   | (viii) |      | Deduction out of income from lands used for agricultural purpose -   |             | 220            |
|   |        | (a)  | Land revenue and Local Fund Cess   |             |                |
|   |        | (b)  | Rent payable to superior landlord  |             |                |
|   |        | ( c) | Cost of production if lands are cultivated by the trust  |             |                |
|   | (ix)   |      | Deductions out of income from lands used from non agricultural purpose -   |             |                |
|   |        | (a)  | Assessment, cesses and other Government or municipal taxes   |             |                |
|   |        | (b)  | Ground rent payable to the superior landlord   |             |                |
|   | -      | (c)  | Insurance premia   | ^           | D              |
|   |        | (d)  | Repairs at 10 per cent of gross rent of buildings  |             | 5.             |
|   |        | (e)  | Cost of collection at 4 per cent of gross rent of building let out   |             |                |
|   | (x)    |      | Cost of collection of income or receipt from securities, stocks etc. at one percent of such income   |             |                |
|   | 100    | 1    | 1% of Interest Income of Rs.   | 2,56,20,042 |                |
|   |        |      | 2,56,20,04,204.97  Deductions on account of repairs in respect of buildings not rented and   | 2,50,20,012 |                |
|   | (xi)   |      | yielding to income, at 10 per cent of the estimated gross annual rent  |             | 2,56,20,042    |
|   |        |      | * a * *  |             |                |
|   |        |      | Gross annual income chargeable to contribution   |             | 4,71,29,81,355 |
|   |        |      | Amount of contribution computed at the rate fixed under the sub-section (1) of section 58 and payable 2% of Gross annual income chargeable to contribution |             | 9,42,59,627    |

"Certified that while claiming deductions admissible under the above Schedule, we have not claimed any amount twice, either wholly or partly, against any of the items mentioned in the Schedule which have the effect of double deduction."

(M. Senthilnathan) Trustee

For NEIA Trust

(Geetha Wuralidhar)

Trustee

(David Rasquin

Trustee

Dated: 23/09/2019 Place: MUMBAI

NEIA Trust C/o ECGC Limited, 10th Floor, Express Towers, Nanman Point, Mumbai 400 021

Regn. No.



As per our report of even date, For L N Maru & Co

Chartered Accountants

106069W-RU Firm Regn. No.

L N Marit.

Partner - M. No. 033246

एन ई आई ए ट्रस्ट

31मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

#### क. पृष्ठ भूमि

- 1. क) ट्रस्ट का गठन,राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य एवं वांछनीय मध्यम एवं दीर्धकालिक उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं, जिन पर पुनर्बीमा रक्षा उपलब्ध नहीं है अथवा जिनकी लागत बहुत अधिक है एवं जो अल्पकालिक निर्यातों हेतु लाभकारी हैं, ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। ट्रस्ट समझौते के अनुसार, ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तदनुसार, भारत सरकार (भा स) द्वारा संकल्प संख्या 616/2009-ई एंड एमडीए दिनांक 12.2.2009 के जरिये एक मद को इसमें शामिल किया गया था जिसके अनुसार (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) निर्यातकों एवं ईसीजीसी द्वारा बीमांकित कुछ विशिष्ट व्यापारों जैसे कपड़ा, आभूषण आदि के गैर-एमएसएमई निर्यातकों के लिए 5 प्रतिशत की अतिरिक्त रक्षा प्रदान की जानी होगी (2) ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा बीमांकित बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा रक्षा (ईसीआईबी) के अधीन संरक्षित बैंकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त रक्षा प्रदान की जानी होगी।
- 2. एनईआईए ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट पंजीकरण कार्यालय, ग्रेटर मुंबई क्षेत्र, मुंबई के साथ 8 मई, 2006 को पंजीकरण संख्या: -ई 23382 के साथ ट्रस्ट डीड दिनांक 21 मार्च, 2006 और संशोधित ट्रस्ट डीड दिनांक 29 मार्च 2006, के साथ एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में भारत



के राष्ट्रपति के के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) के माध्यम से पंजीकृत किया गया है। । इसके अलावा, लाभ के लिए योजना स्कीम अपील संख्या 7/2010 में चेरिटेबल ट्रस्ट के सहायक आयुक्त के आदेश के अनुसार बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 की धारा 50 ए के तहत अल्पकालिक निर्यात हेतु किया गया है।

3. ट्रस्ट कार्यालय हेतु स्थल , कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एवं अन्य संबंधित बुनियादी संरचना सिहत सभी स्थापना लागत ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कारवाई जाती है एवं वहन की जाती है।

#### क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

 लेखांकन का आधार: वितीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुकरण में उपचय आधार पर तैयार किए जाते हैं एवं भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के सभी पहलुओं का पूर्ण अनुपालन किया जाता है।

#### 2. अनुमानों का उपयोग :

सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों , के अनुरूप वितीय विवरणों की प्रस्तुति हेतु , वे अनुमान एवं मान्यताएँ आवश्यक हैं जो रिपोर्टाधीन अविध के दौरान वितीय विवरणों की तारीख के दौरान आस्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट की गयी राशि तथा राजस्व एवं व्ययों की रिपोर्ट की गयी राशि की गयी राशि की परिणाम और



अनुमानों के बीच के अंतर को उसी अविध के दौरान पहचाना जाता है जिस अविध में परिणाम ज्ञात / घटित होते हैं।

#### 3. राजस्व मान्यता :

ब्याज एवं अन्य आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है।

#### 4. गारंटी शुल्क ( अन्य ) की गणना:

सहायता के रूप में , भारतीय निर्यात आयात बैंक ( एक्जिम बैंक ) एवं अन्य से प्राप्त गारंटी शुल्क को रक्षा अविध के आनुपातिक आधार पर विभाजित किया गया है।

#### 5. गारंटी शुल्क ( ईसीजीसी ) की गणना:

वर्ष के दौरान सहायता के रूप में , ईसीजीसी लिमिटेड को प्रदान की गई गारंटी शुल्क को रक्षा की अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से विभाजित किया गया है।

#### 6. दावों के कारण उत्पन्न देयता :

वर्ष के अंत तक ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा प्रदत्त दावों के संबंध में बकाया दावों की देयता की गणना अधिकतम जोखिम ग्राह्यता की सीमा तक की जाती है।

#### 7. कराधान हेत् प्रावधान

वर्तमान लेखा वर्ष हेतु कर योग्य लाभ के आधार पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर के प्रावधान किए गए हैं।

#### 8. प्रशासनिक प्रभार



इस ट्रस्ट के संचालन एवं स्थापना लागत एवं इसकी योजना के संचालन संबंधी व्यय का वहन ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसके लिए यह समग्र गारंटी शुल्क के 5% के सेवा प्रभार पाने का हकदार है। ईसीजीसी लिमिटेड को प्रभारित उक्त प्रभार की पहचान रक्षा की अविध के दौरान की जाती है।

#### ख. लेखों का भाग बनने वाली टिप्पणियाँ :

- 1. यह ट्रस्ट , बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के पास पंजीकृत नहीं है। पंजीकरण के संबंध में , ट्रस्ट द्वारा स्पष्टीकरण के लिए आर आर डी ए आई से संपर्क किया गया है,इस संबंध में सूचना प्रतीक्षित है
- 2. ट्रस्ट द्वारा गारंटी शुल्क की प्राप्ति पर कुछ रक्षाओं के लिए ईसीजीसी लिमिटेड को गारंटी प्रदान की है। इस व्यवस्था संबंध में आई आर डी ए आई को आवश्यक सूचना दे दी गयी है। ट्रस्ट को , वर्ष के दौरान, ईसीजीसी लिमिटेड से गारंटी शुल्क के रूप में रु. 1,51,92,830/- की राशि प्राप्त हुई, जिसमें से रु. 1,04,10,453/- चालू वर्ष के लिए है एवं शेष रु. 47,82,377/- की राशि को गारंटी रक्षा की शेष अवधि के लिए विभाजित किया जाएगा। चालू वर्ष के लिए रु 3,54,79,602/- की कुल गारंटी शुल्क आय है, जिसमें पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त अग्रिम गारंटी शुल्क में से चालू वर्ष के लिए आवंटित रु. 2,50,69,149/- की राशि भी शामिल है। इस राशि को आय और व्यय खाते में अलग से दर्शाया गया है।



- 3. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 की धारा 58 के प्रावधानों के अधीन , ट्रस्टों द्वारा अधिनियम की अनुसूची IXC के अंतर्गत दर्शाई गई आय के 2% के हिसाब से लोक न्यास प्रशासन कोष (पब्लिक ट्रस्ट एडिमिनिस्ट्रेशन फंड) में योगदान करना आवश्यक है। एक अन्य ट्रस्ट ने उक्त प्रावधान को चुनौती दी थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रस्ट के पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी किया था। जहां तक एनईआईए ट्रस्ट का संबंध है, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, इसमें लोक न्यास प्रशासन कोष को देय 40,09,64,008/- रुपये की राशि (चालू वर्ष के प्रावधान सहित रु. 9,42,59,627/-) का प्रावधान है एवं जिसके लिए उक्त मामले पर अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण अभी तक कोई योगदान नहीं दिया गया है।
- 4. क) ट्रस्ट के वर्ष 2009-10 तक के आयकर मूल्यांकन का मूल्यांकन आय मेन बिना किसी समायोजन/परिवर्तन के हुआ। तत्पश्चात, निर्धारण वर्ष 2010-2011 से 2015-16 तक, आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11 के तहत ट्रस्ट द्वारा दावा की गई छूट इस आधार पर प्रदान नहीं की है कि धारा 2( 15) अधिनियम में के निर्धारण वर्ष 2009-2010 से चेरिटेबल उद्देश्य की परिभाषा बदल गई है और इसलिए, ट्रस्ट द्वारा की जाने वाली गतिविधि "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नित" के लिए नहीं है। इस तरह की छूट से इनकार करने के परिणामस्वरूप उक्त अविध के लिए 410.87 करोड़ रुपये की कुल आयकर मांग हुई जो कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण सहित अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपील में विवादित हैं। निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अपीलों के लिम्बत रहने के दौरान ट्रस्ट ने रु. 138.72 करोड़ (ब्याज सहित) भुगतान किया है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील लंबित निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए अधिनियम



की धारा 271 (1) (सी) में 72 करोड़ रुपये की पेनल्टी का भुगतान विरोध दर्शाते हुए किया गया है।

- ख) ट्रस्ट के इस तर्क पूर्वागृह के बिना कि वह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुओं की उन्नति" मानते हुए लाभ के लिए पात्र है, सावधानी के तौर पर :
- (i) निर्धारण वर्ष 2012-13 से निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कर और उस पर ब्याज की स्व-गणना की है और उसका भुगतान किया है;
- (ii) निर्धारण वर्ष 2015-16 से निर्धारण वर्ष 2018-19 तक प्रभावी, ट्रस्ट प्रासंगिक वर्षों के लिए आय की गणना के आधार पर अग्रिम कर किस्तों का भुगतान किया जा रहा है।

ग)ट्रस्ट द्वारा 410.87 करोड़ रुपये (जुर्माना सिहत) की कुल कर देयता, जैसा कि पहले पैरा 1 में संदर्भित है, के लिए प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि ट्रस्ट को सलाह दी गई है कि वे धारा 2(15) के तहत "चेरिटेबल उद्देश्य" की परिभाषा के अंतर्गत हैं और इसलिए, अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होंगे। मूल्यांकन वर्ष 2010-11 के लिए दिनांक 12-07-2018 को आई टी ए टी बेंच के द्वारा सुनवाई पूर्ण हुई। दिनांक 18-01-2019 को आई टी ए टी द्वारा एन ई आई ए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। आई टी ए टी के मत में एन ई आई ए ट्रस्ट चेरिटेबल ट्रस्ट की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

5. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11के प्रावधान के अनुसार 26,69,12,343/- रु का संचयन ( वितीय वर्ष 2012-13 से अगले पाँच वर्षों भीतर उपयोग करने हेतु अलग



रखे गए एवं यदि पाँच वर्षों के दौरान उपयोग न किया गया तो छठवें वर्ष से करयोग्य माना जाएगा) को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ट्रस्ट द्वारा जारी कुल रक्षाएं (ट्रस्ट का उद्देश्य में निहित होने के कारण ) वर्ष 31.03.2014 तक 7036 करोड़ रु, वर्ष तक 31.03.2015 तक 8635.50 करोड़ रु , वर्ष 31.03.2016 तक 9227.83, 31-03-2017 तक 17395.86 , 31-03-2018 को 24028.94 करोड़ रु एवं 31-03-2018 को 24059.35 करोड़ रु को ध्यान में रखते हुए न्यासियों की राय में संचित आय का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है एवं अधिनियम की धारा 11(3) के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे अतः उसे वितीय वर्ष 2018-19 के दौरान संभावित आय नहीं माना गया है।

- 6. लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक में लेखा परीक्षा शुल्क के रूप में 55,000 रुपये एवं कर लेखा परीक्षा शुल्क के रूप में 15,000 रुपये (जीएसटी को छोड़कर) शामिल हैं।
- 7. क) 26 AS ट्रेसेस (टीडीएस समाधान विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली ) के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2018-19 हेतु 60.78 करोड़ रु का आयकर वापसी एवं 3,59,69,289/- रु के ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज राशि 3,59,69,289/- रु. ब्याज राशि को वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आय में शामिल नहीं किया गया था अतः वर्तमान वित्त वर्ष 2018-19 में इस राशि को पूर्वाधि आय में शामिल किया गया है।
  - ख) मूल्यांकन वर्ष 2019-20 हेतु 26 AS ट्रेसेस (टीडीएस समाधान विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली ) के अनुसार निम्नलिखित राशि दर्शाई गई हैं :

(राशि रु में)

|      | 0             | 0       |            |       | ٠         |
|------|---------------|---------|------------|-------|-----------|
| क्रस | निर्धारण वर्ष | प्रणाला | वापसी राशि | ब्याज | भुगतान की |
|      |               |         |            |       | तारीख     |



| 2.      | 2015-16 | ई सी एस | 63,85,93,370  | 2,25,58,438 | 19-02-<br>2018 |
|---------|---------|---------|---------------|-------------|----------------|
| 3.      | 2014-15 | ई सी एस | 2,36,10,269   | -           | 01-02-         |
| <br>कुल |         |         | 133,72,10,919 | 9,48,80,638 | 2018           |

मूल्यांकन वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्त 5,95,10,564/- की वापसी राशि को बकाया मांग में समायोजित किया गया है। मूल्यांकन वर्ष 2015-16 एवं 2014-15 के लिए प्राप्त वापसी राशि को भी बकाया मांग में समायोजित किया गया है एवं कोई वास्तविक राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः वर्ष के दौरान 9,48,80,638/- रु की वापसी कर पर ब्याज प्राप्त आय माना गया है।

उपरोक्त क व ख में से, 13,08,49,927/- रु (3,59,69,289 रु एवं 9,48,80,638/-) की राशि को वर्ष के दौरान आयकर वापसी पर ब्याज आय में शामिल किया गया है। चूंकि 5,95,10,564/- रु वास्तव में प्राप्त हुए अतः शेष राशि 7,13,39,363/- रु को वर्तमान आस्तियों में आयकर वापसी पर प्राप्य ब्याज मद में शामिल किया गया है।

8. चालू वर्ष के दौरान, ब्याज आय रु. 256.20 करोड़ को आय और व्यय खाते में उपचय के आधार पर गणना की गई है, हालांकि 26AS (आयकर विभाग द्वारा ऑनलाइन जारी) के अनुसार ब्याज आय रु 292.08 करोड़ परिलक्षित होती है। यह अंतर इस कारण है कि प्रत्येक बैंक स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की राशि की गणना के लिए अलग-अलग पद्धति अपनाता है।



- 9. वित्त वर्ष 2015-16 व 2017-18 के वित्तीय विवरण चेरिटी कमिश्नर, बॉम्बे ट्रस्ट के कार्यालय में उपयुक्त रूप से दर्ज किए गए ।
- 10.प्रबंधन द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED) के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के पास उनके पंजीकरण के संबंध में पुष्टि करने हेतु निर्देश दिये गए हैं। हालांकि, किसी भी पक्ष द्वारा अभी तक संबन्धित अधिनियम के अधीन इसके पंजीकरण की पुष्टि नहीं की गयी है। तदनुसार, इस संबंध में कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई! लेखापरीक्षकों द्वारा प्रबंधन के उक्त स्पष्टीकरण पर अपना विश्वास जताया गया है।

कृते एन ई आई ए ट्रस्ट

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

(एम सेंथिलनाथन)

(गीता मुरलीधर)

(डेविड रस्किना )

दिनांक : 23 सितंबर 2019

स्थान : मुंबई



#### **NEIA TRUST**

(2)

#### FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

#### A. BACKGROUND

- 1. The trust is formed with the objective to ensure the availability of credit risk cover for the medium and long term high value projects which are commercially viable and desirable from the point of view of national interest where reinsurance cover is not available or its cost is very high and also for the benefit of short -term exports. As per the Trust Deed, the trust is also required to follow any other instructions as given by the Government of India from time to time. Accordingly, the Govt. of India (GOI) had vide Resolution No.616/2009-E&MDA dated 12.2.2009 added one more object as per which (1) additional cover of 5 per cent to be provided to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) exporters and also Non-MSME exporters of certain specified trades like Textiles, Jewellery, etc. underwritten by ECGC. (2) Additional cover of 10 per cent to banks who are covered under Export Credit Insurance for Banks (ECIB) underwritten by ECGC of India Ltd.
- 2. The NEIA trust has been registered as a Public trust with the Public Trusts Registration Office, Greater Mumbai Region, Mumbai on 8<sup>th</sup> May, 2006 with registration no:-E 23382 vide trust deed dated 21<sup>st</sup> March, 2006 and modified trust deed dated 29<sup>th</sup> March, 2006 entered into between The President of India, acting through the Joint Secretary, Dept. of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India and the ECGC Limited. Further, scheme for benefit for short term export has been settled u/s 50A of the Bombay Public Trust Act, 1950 as per order of Assistant Commissioner of Charitable Trust in Scheme Appl. No 7/2010.
- All the initial setting up costs including setting up of the trust office, computer hardware and software and other related infrastructure are provided and borne by ECGC Limited.







#### B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. Basis of Accounting: The Financial statements are prepared on accrual basis on historical cost convention and comply in all material aspects with the accounting principles accepted in India.

#### 2. Use of estimates:

The presentation of financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made that affects the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenue and expenses during the reported period. Differences between the actual result and estimates are recognized in the period in which the results are known / materialized.

#### 3. Revenue Recognition:

Interest and other income is accounted on accrual Basis

#### 4. Guarantee Fee (Others) Accounting:

Guarantee fees from Exim Bank of India and others received towards support provided is apportioned prospectively for the remaining period of cover.

#### Guarantee Fees (ECGC) Accounting:

Guarantee fees received during the year towards the support provided to ECGC Limited is apportioned prospectively for the remaining period of cover.

#### 6. Liability on account of claims:

Liability towards outstanding claims at the end of the year is made in respect of the claims provided by ECGC Limited maximum to the extent of exposure.

#### 7. Provision for Taxation

Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. However, refer note 4 and 5 of Part C.

8. Administrative Charges

The administrative & establishment costs of the trust and cost of administering its scheme is borne by ECGC Limited against which it is entitled for service charges at 5% of the gross guarantee fees. The said charges paid to ECGC Limited are recognized

MUMBA

over the period of the covers

Regn. No.

2

#### C. NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS:

- The Trust is not registered with the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). The Trust has written to the IRDA for seeking clarifications regarding registration but no communication is received by the Trust in these regards.
- 2. The Trust has given Guarantee to ECGC Limited for a few covers on receipt of Guarantee Fee. This arrangement has been notified to IRDA. During the year, Trust has received Rs. 1,51,92,830 as Guarantee Fee from ECGC Limited out of which Rs. 1,04,10,453 is for the current year and remaining amount of Rs. 47,82,377 is allocated for future years till the validity period of guarantee cover. The total guarantee fee income for the current year is Rs.3,54,79,602 which includes amount of Rs. 2,50,69,149 allocated for current year out of the advance guarantee fee received during the previous years. This amount has been shown separately in the Income & Expenditure account.
- 3. Under provisions of section 58 of Bombay Public Trust Act 1950, Trusts are required to make contribution to Public Trust Administration Fund @ 2% of the Income shown under Schedule IXC of the Act. Another Trust had challenged the said provision and the Hon'ble Supreme Court issued a Stay order in favor of the Trust. In so far as NEIA trust is concerned, as on March 31, 2019 it holds provision amounting to Rs. 40,09,64,008 payable to the Public Trust Administration Fund (including current year provision Rs. 9,42,59,627) and towards which no contribution is yet made pending final judgment on the said matter.
- 4. a) Income tax assessments of the Trust were completed up to assessment year 2009-2010 without any adjustment / additions to the income. Thereafter, effective from assessment year 2010-2011 to 2015-2016, the tax department has not granted exemption claimed by the Trust under Section 11 of the Income Tax Act, 1961 (the Act) on the ground that post-amendment of section 2(15) of the Act effective from assessment year 2009-2010, the definition of charitable purpose has changed and hence, the activity carried on by it is not for "advancement of any other object of general public utility". Denial of such exemption has resulted into aggregate tax demands of Rs.410.87 Crores for the said period which are disputed in appeals before the Appellate Authorities including Income Tax Appellate Tribunal. During the pendency of the appeals for assessment years 2012-13 to 2014-15, the Trust has



Regn. No.

र्हित स. Regn. Ho.

23382

MUMB

EPED AC

paid Rs. 138.72 Crores (including interest). The Trust under protest has also paid penalty u/s. 271(1)(c)of the Act of Rs.72 Crores in respect of assessment year 2010-2011 pending the appeal before the Income Tax Appellate Tribunal.

- b) Without prejudice to the contention of the Trust, that it is eligible for benefit u/s. 11 of the Act as the same is engaged in the "advancement of the objects of general public utility", as a matter of abundant caution:
  - It has self-computed the tax plus interest thereon for assessment year
     2012-13 to assessment year 2014-15 and paid the same;
  - (ii) Effective from assessment year 2015-16 to assessment year 2018-19, the Trust has been paying the advance tax installments based on the computation of income for the relevant years.
- c) The Trust has not provided for the aggregate tax liability of Rs. 410.87 crores (including Penalty) as referred to earlier in para 1 as the Trust has been advised that they are covered by the definition of "Charitable Purpose" u/s 2(15) and hence, eligible for the benefit u/s. 11 of the Act. The hearing for AY 2010-11 was heard and completed in the ITAT Bench for AY 2010-11 on 12.07.2018. ITAT pronounced the order on 18.01.2019 in favour of the NEIA Trust. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust.
- 5. In terms of provision of Section 11 of the Income Tax Act, 1961, the accumulation of Rs.26,69,12,343 (set apart in Financial Year 2012-13 for utilization within next 5 Years and taxable as deemed income in sixth year, if remain unutilized) is not considered as deemed income during Financial Year 2018-19, Keeping in view of the fact that total insurance covers issued by the Trust (being the object of the Trust) was of Rs.7,036 Crores as of 31-03-2014, Rs. 8,635.50 Crores as of 31-03-2015, Rs.9,227.83 Crores as of 31-03-2016, Rs.17,395.86 Crores as of 31-03-2017, Rs.24,028.94 Crores as of 31-03-2018 and 24059.35 Crores as of 31-03-2019 in the opinion of the Trustees, the income accumulated stands utilized and provision of Section 11(3) of the Act is not attracted.
- Auditor's remuneration includes Audit Fees Rs 55,000 and tax audit fees Rs 15,000 (excluding GST).

7. (a) As per the 26AS of TRACES (TDS Reconciliation Analysis an Correction Enabling System) for the Assessment Year 2018-19 there was an Income fax refund

4

Regn. No.

MUMBAI

र्जि नं. Regn. No.

£ 23382

of Rs. 60.78 Crores and an interest of Rs. 3,59,69,289 thereon. The interest of Rs. 3,59,69,289 was not accounted for during the FY 2017-18 hence, the same has been booked as prior period income during the current year FY 2018-19.

(b)The following amounts have been shown as Income Tax refund as per Form 26AS of TRACES (TDS Reconciliation Analysis an Correction Enabling System) for the Assessment Year 2019-20:

|            |                    |      |                     |             | (Amount in Rs.     |
|------------|--------------------|------|---------------------|-------------|--------------------|
| Sr.<br>No. | Assessment<br>Year | Mode | Amount of<br>Refund | Interest    | Date of<br>Payment |
| 1          | 2016-17            | ECS  | 67,50,07,280        | 7,23,22,200 | 06-06-2018         |
| 2          | 2015-16            | ECS  | 63,85,93,370        | 2,25,58,438 |                    |
| 3          | 2014-15            | ECS  | 2,36,10,269         | -           | 01-02-2018         |
|            | Total              |      | 133,72,10,919       | 9,48,80,638 |                    |

Out of refund for AY 2016-17, Rs.5,95,10,564 has been realized and rest has been adjusted against outstanding demands. Refund for AY 2015-16 and AY 2014-15 have also been adjusted against outstanding demands and no amount has been actually realized. Hence, Rs. 9,48,80,638 has been booked as interest on tax refund during the year.

Out of (a) and (b) above, total of Rs. 13,08,49,927 (Rs. 3,59,69,289 plus Rs. 9,48,80,638) has been booked as interest on tax refund during the current year. As only Rs.5,95,10,564 has been actually realized, the balance amount of Rs. 7,13,39,363 has been booked as interest on tax refund receivable under current assets.

- 8. During the current year, interest income of Rs. 256.20 Crore is booked on the accrual basis in Income and Expenditure Account, though as per 26AS of TRACES (TDS Reconciliation Analysis an Correction Enabling System) interest income of Rs. 292.08 Crore is reflected. This is due to the fact that each bank adopts different methodology for calculating the amount of Tax Deducted at Source (TDS).
- 9. The financial statements from FY 2015-16 to FY 2017-18 have been duly filed with the office of charity commissioner, Bombay Trust.
- 10. The management has asked for confirmation from its suppliers regarding their registration with competent authorities under Micro, Small and Medium Enterprises E 3115 P.

Regn. No.

23382

ARU

CAED NO



Regn. No. 23302 Development Act, 2006 (MSMED). However, no party has confirmed its registration under the act. Accordingly no further information is submitted in this regards. The auditors have relied on the said submission of the management.

For NEIA TRUST

(M. Senthilnathan)

Date: 23<sup>rd</sup> September, 2019 Place: Mumbai

CONT.



(David Rasquinha)







#### फॉर्म सं . 10B (नियम 17 बी देखें )

चैरिटेबल अथवा धार्मिक ट्रस्ट अथवा संस्थाओं के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए (बी) के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट,

- 1. हमने 31 मार्च, 2019 को एनईआईए ट्रस्ट की तुलन पत्र एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते की जांच की है, जो उक्त ट्रस्ट अथवा संस्थान द्वारा बनाए गए खाते बहियों के अनुरूप हैं। हमने वे सभी जानकारियाँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे। हमारी राय में, हमारे द्वारा जाँचे गए बहियों से साबित होता है कि ऊपर उल्लिखित ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय व उक्त ट्रस्ट की उन शाखाओं में जिनका हमने दौरा किया गया वहाँ लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है एवं जिनका दौरा नहीं किया गया वहाँ से लेखा परीक्षा के उददेश्य से उचित एवं पर्याप्त विवरणियाँ प्राप्त की गयी।
- 2. हमारी राय में एवं हमारे सर्वोत्तम जानकारी में हमें प्रदान की गयी जानकारी के अनुसार उक्त खातों में निम्न का उचित एवं स्पष्ट उल्लेख किया गया है :-
  - (i) तुलन पत्र के अनुसार उक्त ट्रस्ट के संव्ययहार दिनांक 31.03.2019 तक उल्लिखित हैं;
  - (ii) आय एवं व्यय के विवरणों के संबंध में में 31 मार्च 2019 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए अधिशेष अथवा घाटा विवरण उल्लिखित है ;
- 3. निर्धारित विवरण इसके साथ संलग्न है
- 4. ट्रस्ट के मूल्यांकन अधिकारी (ए ओ) एवं ट्रस्ट के बीच निम्न मतभेद हैं :-
  - (क) क्या ट्रस्ट के उद्देश्य , आय कर अधिनियम 1961 ( अधिनियम ) की धारा 2(15) में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार " चैरिटेबल उद्देश्य " से मेल खाते हैं;
  - (ख) क्या " कुल आय " की गणना अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के आधार पर की गयी है;



- 4.1 ए ओ की राय में :
  - (क) अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधान के अनुसार ट्रस्ट के उद्देश्य पर " चैरिटेबल उद्देश्य " लागू नहीं होता;
  - (ख) अतः ट्रस्ट की आय के निर्धारण के समय अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं।
  - (ग) आगे , भारत के केंद्र सरकार से प्राप्त एवं ट्रस्ट के खाते में जामा राशि को ट्रस्ट की आय के रूप में गणना की गयी है।
- 4.2 उक्त राय के अनुसार, आय का आकलन 31 मार्च, 2010, 31 मार्च, 2011, 31 मार्च 2012, 31 मार्च, 2013 एवं 31 मार्च, 2014 को समाप्त पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए किया गया है। ट्रस्ट द्वारा अपीलीय अधिकारियों के समक्ष ए ओ की राय का विरोध किया गया।
- 4.3 ट्रस्ट के इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि ट्रस्ट का उद्देश्य अधिनियम की धारा 2(15) में परिभाषित अनुसार "चैरिटेबल उद्देश्य " है एवं तदनुसार अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को इसके आय की गणना के समय लागू कर इसकी आय की गणना की गयी है, हमें ट्रस्ट के अनुरोध पर निर्धारित फॉर्म सं 10बी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

कृते एल एन मारू & कं सनदी लेखाकर फर्म पंजीकरण सं 106069W

हस्ताक्षरित

सी ए एल एन मारू भागीदार सदस्यता संख्या 033246

स्थान : मुंबई

दिनांक: 23 सितंबर 2019

यू डी आई एन : 19033246 ए ए ए ए ए ई 6575



Chartered Accountants

220, Wadala Udyog Bhavan, MMGS Marg, Dadar-Wadala, Mumbai - 400 031. Office: 022-2412 2382 Email: info@calnmaru.com | Website: www.calnmaru.com

#### FORM NO. 10B (See Rule 17B)

#### Audit report under section 12A(b) of the Income-tax Act, 1961, in the case of charitable or religious trust or institutions

We have examined the Balance Sheet of NEIA Trust as at 31st March, 1. 2019 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said Trust or Institution.

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In our opinion, proper books of account have been kept by the Head Office of the above-named Trust visited by us so far as appears from our examination of the books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received.

- In our opinion and to the best of our information, and according to 2. information given to us, the said accounts give a true and fair view -
  - In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the above named Trust as at 31-03-2019, and
  - In the case of the Income and Expenditure Account, of the surplus or deficit of its accounting year ended 31st March, 2019.
- The prescribed particulars are annexed hereto. 3.
- There is a difference of opinion between the Assessing Officer (AO) of the 4. Trust and the Trust as to following:
  - Whether the objects of the Trust are "Charitable Purpose" keeping (a) in view the definition thereof in Section 2(15) of the Income Tax Act, 1961 (the Act).
  - Whether the provisions of Section 11 of the Act have to be applied (b) in determining "Total Income".
- In the opinion of the AO: 4.1
  - the objects of the Trust are not "Charitable Purpose" keeping in (a) view the applicability of Proviso to Section 2(15) of the Act.





(b) Hence, provisions of Section 11 of the Act have not to be applied in determining income of the Trust.

(c) Further, in that event the amount received from Central Government of India accounted to the credit of Trust Fund is to be assessed as Income.

- 4.2 In terms of the said opinion, the assessment of income is made for previous year(s) ended up to 31st March, 2010, 31st March, 2011, 31st March 2012, 31st March, 2013 and 31st March, 2014. The opinion of AO is contested by the Trust before appellate authorities.
- 4.3 Pending finality in the matter, keeping in view the contention of the Trust that its objects are of "Charitable Purpose" as defined in Section 2(15) of the Act and accordingly the provisions of Section 11 of the Act have to be applied in assessment of its income, we have issued Report in prescribed Form No.10B, at the request of the Trust.

For L N Maru & Co. Chartered Accountants Firm Regn. No.106069W

CA L N Maru

Partner

Membership No. 033246

Place: Mumbai

Date: 23rd September, 2019

UDIN: 19033246AAAAAE6575



#### अनुबंध

#### विवरण

|    | ।. चैरिटेबल अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आय की गणना |    |   |  |  |  |
|----|--|----|---|--|--|--|
| 1  | वर्ष के दौरान भारत में चैरिटेबल                        | :  | अनुलग्नक ''क'' देखें                                |  |  |  |
|    | अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू                   |    |   |  |  |  |
|    | पिछले वर्ष की आय की राशि                               |    |   |  |  |  |
| 2  | क्या ट्रस्ट/संस्था द्वारा धारा 11(1) के                | :  | नहीं  |  |  |  |
|    | स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन                          |    |   |  |  |  |
|    | विकल्प का उपयोग किया गया है?                           |    |   |  |  |  |
|    | यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान भारत                   |    |   |  |  |  |
|    | में चैरिटेबल अथवा धार्मिक उद्देश्यों                   |    |   |  |  |  |
|    | के लिए लागू की गई आय की राशि                           |    |   |  |  |  |
|    | का विवरण।  |    |   |  |  |  |
| 3  | चैरिटेबल अथवा धार्मिक उद्देश्यों के                    | :  | अनुलग्नक ''ख'' देखें                                |  |  |  |
|    | लिए संचित अथवा अलग / अंतिम रूप                         |    |   |  |  |  |
|    | से अलग की गई आय की राशि, जो                            |    |   |  |  |  |
|    | कि ट्रस्ट के अधीन पूर्णतः / आंशिक                      |    |   |  |  |  |
|    | रूप से केवल इसी प्रकार के उद्देश्यों                   |    |   |  |  |  |
|    | के लिए धारित संपत्ति से प्राप्त आय                     |    |   |  |  |  |
|    | के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।                         |    |   |  |  |  |
| 4  | धारा 11(1)(सी) के अधीन छूट के                          | :  | कुछ नहीं  |  |  |  |
|    | लिए पात्र आय की राशि (विवरण दें)                       |    |   |  |  |  |
| 5  | उक्त मद सं 3 में उल्लिखित , धारा                       | :  | अनुलम्नक 'ग'' देखें                                 |  |  |  |
|    | 11(2) के अधीन निर्दिष्ट उद्देश्यों के                  |    | कुछ नहीं<br><u>नोट :</u> अनुबंध ख का नोट सं 3 देखें |  |  |  |
|    | लिए संचित अथवा अलग से रखी गयी                          |    | नाट: अनुषय अ या गाट त उ ५४                          |  |  |  |
|    | राशि के अलावा अन्य आय की राशि,                         |    |   |  |  |  |
|    | क्या उक्त उल्लिखित मद सं 5 में उल्लिखित आय का निवेश    |    | α.  |  |  |  |
| 6  | धारा 11(2) (बी ) में उल्लिखित पद्धित के अनुसार किया    | •  | लाग् नहीं   |  |  |  |
|    | गया? यदि हाँ तो उसके विवरण;                            |    |   |  |  |  |
| 7  | क्या आय का कोई हिस्सा जिसके                            | 1: | शून्य   |  |  |  |
| T. | क्या आय का काई हिस्सा जिसक                             |    | V.  |  |  |  |



| · | 11(<br>अधी<br>था,<br>पिछ | प्र में किसी पूर्व के वर्षों में धारा  1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के  न विकल्प का उपयोग किया गया  जिसे धारा 11(1बी) के अधीन  ले वर्ष की आय माना जा सकता  पदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।   |  |
|---|--------------------------|--|--|
| 8 | धारा<br>के<br>संचर       | , पूर्व के वर्षों के दौरान, किसी वर्ष<br>11(2) के अधीन निर्दिष्ट उद्देश्यों<br>लिए आय के किसी हिस्से का<br>यन किया गया था अथवा अलग<br>गया-   | a a  |
|   | (ন্ধ)                    | चैरिटेबल अथवा धार्मिक उद्देश्यों के अलावा किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए आय की गणना की गयी है अथवा संचय किया जाना बंद कर दिया गया है अथवा किसी राशि का धारा 11(2)(बी)(i) में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूति में निवेश किया जाना बंद कर दिया गया है अथवा निवेशित है अथवा धारा 11(2)(बी)(ii) अथवा धारा 11(2)(बी)(iii) अथवा धारा 11(2)(बी) (iii), में संदर्भित किसी भी खाते में जमा है। अथवा | अनुलग्नक ''घ'' देखें   |
|   | (ग)                      | क्या वर्ष की समाप्ति के तत्काल<br>पश्चात उसका उपयोग उन<br>उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया<br>है जिनके लिए उसका संचयन<br>किया किया गया था अथवा  | in the second se |



|   | अलग रखा गया था,? यदि हां, तो<br>उसका ब्यौरा दें।<br>II. धारा 13(3) में उल्लिखित व्यक्तियों की सुवि  | वेधा हेतु आय अथवा संपत्ति की |
|---|---|------------------------------|
|   | गणना अथवा उपयोग   |                              |
| 1 | क्या पिछले वर्ष , धारा 13(3) (इसके विवाद इस अनुबंध में ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित) में उल्लिखित अनुसार न्यास/संस्था की आय अथवा संपित के किसी भाग को किसी व्यक्ति को ऋण के रूप में दिया गया था, अथवा दिया जाना जारी है? यदि हां, तो राशि, प्रभारित ब्याज दर एवं प्रतिभूति की प्रकृति, यदि कोई हो, का विवरण दें। |                              |
| 2 | क्या पिछले वर्ष के दौरान न्यास/संस्था : नहीं की कोई भूमि, भवन अथवा अन्य संपत्ति ऐसे किसी व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई अथवा उपलब्ध कराई जाती रही? यदि हां, तो संपत्ति का ब्योरा दें एवं किराए अथवा मुआवजे की राशि, यदि कोई हो, का विवरण दें।   |                              |
| 3 | क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी ऐसे : वहीं टयक्ति को वेतन, भते अथवा अन्यथा किसी अन्य रूप में कोई भुगतान किया गया? यदि हां, तो विवरण दें।  |                              |



|   |   |   | 0:   |
|---|---|---|------|
| 4 | क्या पिछले वर्ष के दौरान ऐसे किसी<br>व्यक्ति को ट्रस्ट/संस्था की सेवाएं<br>उपलब्ध कराई गई? यदि हां, तो<br>पारिश्रमिक अथवा प्राप्त मुआवजे, यदि<br>कोई हो, के साथ उसका विवरण दें।                                   | : | नहीं |
| 5 | क्या पिछले वर्ष के दौरान ट्रस्ट/संस्थान<br>द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी<br>ऐसे व्यक्ति से कोई शेयर, प्रतिभूति<br>अथवा अन्य संपत्ति खरीदी गई? यदि<br>हां, तो भुगतान किए गए प्रतिफल के<br>साथ उसका विवरण दें।        | • | नहीं |
| 6 | क्या पिछले वर्ष के दौरान ट्रस्ट /<br>संस्थान द्वारा या उसकी ओर से कोई<br>शेयर, प्रतिभूति अथवा अन्य संपति ऐसे<br>किसी व्यक्ति को बेची गई? यदि हां,<br>तो प्राप्त प्रतिफल के साथ उसका<br>विवरण दें                  |   | नहीं |
| 7 | क्या न्यास/संस्था की कोई आय अथवा<br>संपत्ति पिछले वर्ष के दौरान ऐसे किसी<br>व्यक्ति के पक्ष में व्यपवर्तित की गई?<br>यदि हां, तो आय की राशि या इस<br>प्रकार व्यपवर्तित संपत्ति के मूल्य के<br>साथ उसका विवरण दें। | : | नहीं |
| 8 | क्या पिछले वर्ष के दौरान न्यास/संस्था की<br>आय अथवा संपत्ति का ऐसे किसी व्यक्ति<br>के लाभ के लिए किसी अन्य प्रकार से<br>उपयोग किया गया अथवा लागू किया   | i | नहीं |



|        | गया? यदि हां, तो                   | विवरण दें।  |                      |                   |  |  |  |  |  |
|--------|------------------------------------|---|----------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| III. 1 | प्रेछले वर्ष (वर्षी) वे            | न दौरान किसी भी   | समय धारित वि         | नेवेश जिसमें धारा | 13(3) में <b>उल्लिखित</b>  |  |  |  |  |
|        | व्यक्तियों का पर                   | र्याप्त हित निहित है  |                      |                   |  |  |  |  |  |
| क्रसं. | समाबंधित व्यक्ति का नाम एवं<br>पता | जहां संबन्धित व्यक्ति कोई कंपनय<br>हो तो धारित शेयरों की संख्या एवं<br>श्रेणी | निवेश का अंकित मूल्य | निवेश से आय       | क्या कॉलम सं 4 में उल्लिखित<br>राशि पिछले वर्ष के दौरान<br>संबन्धित व्यक्ति की पूंजी के 5<br>प्रतिशत से अधिक है – हाँ / न में<br>उत्तर दें |  |  |  |  |
| 1      | 2                                  | 3   | 4                    | 5                 | 6  |  |  |  |  |
|        | लागू नहीं                          |   |                      |                   |  |  |  |  |  |

कृते एल एन मारू & कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं . 106069W

हस्ताक्षरित

सी ए एल एन मारू भागीदार

स्थान : मुंबई दिनांक : 23/09/2019



# ANNEXURE

# Statement of particulars

|   | I. APPLICATION OF INCOME FO  | R  | CHARITABLE OR RELIGIOUS                                     |
|---|--|----|---|
|   |  |    | POSES   |
| 1 | Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during the year   | :  | Refer Annexure "A"  |
| 2 | Whether the Trust / Institution has exercised the option under clause (2) of the Explanation to Section 11(1)? If so, the details of the amount of income deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year. | :  | No  |
| 3 | Amount of income accumulated or set apart / finally set apart for application to charitable or religious purposes, to the extent it does not exceed 25 per cent of the income derived from property held under Trust wholly / in part only for such purposes | •• | Refer Annexure "B"  |
| 4 | Amount of income eligible for exemption under section 11(1)(c) (Give details)  | :  | NIL   |
| 5 | Amount of income, in addition to the amount referred to in item 3 above, accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2)   | •  | Refer Annexure "C" Nil Note: Refer Note No.3 of Annexure B. |
| 6 | Whether the amount of income mentioned in tem 5 above has been invested or deposited in the manner laid down in section 11(2)(b)? If so, the details thereof   | :  | NA  |

17

ं के





| 7 | Whether any part of the income in respect of which an option was exercised under clause (2) Of Explanation to section 11(1) in any earlier year is deemed to be income of the previous year under section 11(1B)? If so, the details thereof.  Whether, during the previous   |         | NIL                |    |
|---|---|---------|--------------------|----|
|   | year, any part of income accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2) in any earlier year-   |         |                    |    |
|   | (a) Has been applied for purposes other than charitable or religious purposes or has ceased to be accumulated or set apart for application thereto, or  (b) Has ceased or remain invested in any security referred to in section 11(2)(b)(i) or deposited in any account referred to in section 11(2)(b)(ii) or section 11(2)(b)(iii), or  (c) Has not been utilized for purposes for which it was accumulated or set apart during the period for which it was to be accumulated or set apart, or in the year immediately following the expiry thereof? If so, the details thereof. | rssttnl | Refer Annexure "D" |    |
|   |   |         | 2011               | 19 |

(i.,)

 $\hat{g}_{i,j,j}^{(2)}$ 

E. .

ď.

Ć.,



| 60    | II. APPLICATION OR USE OF         | E.  | NCOME OR PROPERTY FOR THE<br>REFERRED TO IN SECTION 13(3) |
|-------|-----------------------------------|-----|---|
|       |                                   |     | No  |
| 1     | Whether any part of the income    | :   | 110   |
|       | or property of the Trust /        |     |   |
|       | Institution was lent, or          |     |   |
|       | continues to be lent, in the      | - 1 | a.  |
|       | previous year to any person       |     |   |
|       |                                   |     |   |
| 0 0   | referred to in section 13(3)      |     |   |
|       | (hereinafter referred to in this  |     |   |
|       | Annexure as such person)? If      |     |   |
|       | so, give details of the amount,   |     |   |
|       | rate of interest charged and the  | ١   |   |
|       |                                   |     |   |
|       | nature of security, if any.       | -   | 77  |
| 2     | Wilculot ally laila, states       | :   | No  |
|       | other property of the Trust /     |     |   |
|       | Institution was made, or          |     | 2   |
|       | continued to be made, available   |     |   |
|       |                                   |     |   |
|       | for the use of any such person    |     |   |
|       | during the previous year? If so,  |     |   |
|       | give details of the property and  |     |   |
|       | the amount of rent or             |     |   |
|       | compensation charged, if any.     |     | 3   |
| 3     | Whether any payment was           |     | No  |
| 3     |                                   | •   | 110   |
|       | made to any such person           |     | (a  |
|       | during to any such person         |     | 4 A   |
|       | during the previous year by way   |     |   |
|       | of salary, allowance or           |     |   |
|       | otherwise? If so, give details.   |     |   |
|       | Whether the services of the       |     | : No  |
| 4     |                                   |     | , INO   |
|       | Trust / Institution were made     |     | ,   |
|       | available to any such person      |     |   |
|       | during the previous year? If so,  |     |   |
|       | give details thereof together     |     | a a   |
|       | with remuneration or              |     |   |
|       |                                   | 1   | *   |
|       | compensation received, if any.    | -   |   |
| 5     | Whether any share, security or    | :   | : No  |
|       | other property was purchased      |     |   |
|       | by or on behalf of the Trust /    |     |   |
|       | Institution during the previous   |     |   |
| -     |                                   |     |   |
|       | year from any such person? If     |     |   |
|       | so, give details thereof together |     |   |
| S 441 | with the consideration paid.      |     |   |
|       |                                   |     |   |
|       | 2                                 |     | ,   |
|       | ×                                 |     |   |
|       |                                   |     |   |

÷...

i je

ું

Ġ

123

. . . .





| 6       | other property<br>on behalf o<br>Institution du<br>year to any su<br>give details | share, security was sold by f the Trust ring the previous the person? If thereof toget deration receive | or<br>/<br>ous<br>so,<br>her | •  | No         |                            |  |
|---------|---|---|------------------------------|----|------------|----------------------------|--|
| 7       | Whether an property of Institution was the previous any such perdetails thereof   | the Trust s diverted dur year in favour rson? If so, a together with come or value                      | or / ring of give the        | :  | No         |                            |  |
| 8       | the Trust / Instapplied during for the benefit                                    | come or propert<br>titution was use<br>the previous y<br>of any such per<br>nanner? If so,              | d or<br>year<br>son          | :  | No         | *                          |  |
| III     | .INVESTMENTS  | HELD AT ANY   | TIM                          | E  | DURING     | THE PREVIOUS               | S YEAR(S) IN   |
|         | CONCERN   | S IN WHICH PE   | RSO                          | NS | REFER      | RED TO IN SEC              | TION 13(3)   |
|         |   | 75-77-12 TJ - 77-32-12  |                              |    |            | NTEREST                    | Whether the  |
| Sr. No. | Name and address of the concern   | Where the concern is a company, number and class of shares held   | the i                        |    | l value of | Income from the investment | amount in Col.4 exceeded 5 per cent of the capital of the concern during the previous year – say Yes / No. |
| 1       | 2   | 3   | 4                            |    |            | 5                          | 6  |
|         |   | NOT A   | PPLI                         | CA | BLE        |                            |  |

For L N Maru & Co. Chartered Accountants Firm Regn. No 106069W

MUMBAI

CA L N Maru ( Partner

Place: Mumbai Date: 23/09/2019



|       | अनुबंध क   |                               |                                    |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------------|
|       | एन ई आई ए न्यास (ट्रस्ट)   |                               |                                    |
|       | <u>31 मार्च 2019 को समाप्त लेख</u>   | <u>। वर्ष</u>                 |                                    |
|       | मुल्यांकन वर्ष 2019-20   |                               |                                    |
|       |  | June 1                        |                                    |
| 1     | वर्ष के दौरान चेरिटेबल अथवा धार्मिक उद्देश्य से लागू पिछले वर्ष की आय :-   |                               | Σ                                  |
|       |  |                               |                                    |
|       | विवरण  | राशि रु में                   | राशि रु में                        |
|       | धारा 10, 11 & 12 के संदर्भ में सकल आय  | 4,73,86,01,397                |                                    |
|       | 10, 11 0 12 0 13 14 14 14 14   |                               |                                    |
|       | घटाएँ  |                               |                                    |
|       |  |                               |                                    |
|       | वर्ष के दौरानट्रस्ट के उद्देश्यों पर किया गया व्यय   | 5,45,01,22,605                |                                    |
|       | A Local Control of the Control of th |                               |                                    |
|       |  |                               |                                    |
|       |  | चालू वर्ष की आय तक प्रतिबंधित | 4,73,86,01,39                      |
| -     | 31-03-2019 को समाप्त वर्ष के दौरान आय का उपयोग   |                               | 4,73,86,01,39                      |
| क     | 31-03-2017 का समाप्त पर्य के दौरान आय का उनवान   |                               |                                    |
|       |  |                               |                                    |
|       | विवरण  | राशि रु में                   | राशि रु में                        |
|       | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष  |                               |                                    |
|       | =====================================  | 34,69,96,00,000               |                                    |
|       | आय कर भुगतान   | 7,14,69,18,758                |                                    |
|       | पूर्व अदा किए गए व्यय  | 17,10,70,359                  |                                    |
|       |  |                               |                                    |
|       |  |                               | 42,01,75,89,11                     |
|       |  |                               | 42,01,75,89,11                     |
|       | 31.03.2018 को समाप्त वर्ष  |                               | 42,01,75,89,11                     |
|       | 31.03.2018 को समाप्त वर्ष<br>वैंकों के पास मियादी जमा  | 34,34,84,00,000               | 42,01,75,89,11                     |
|       | बैंकों के पास मियादी जमा   | 6,42,35,00,212                |                                    |
|       |  |                               |                                    |
|       | बैंकों के पास मियादी जमा<br>आय कर भुगतान   | 6,42,35,00,212                |                                    |
|       | बैंकों के पास मियादी जमा<br>आय कर भुगतान   | 6,42,35,00,212                |                                    |
|       | बैंकों के पास मियादी जमा<br>आय कर भुगतान   | 6,42,35,00,212                | 40,93,59,40,940.0                  |
| ख     | बैंकों के पास मियादी जमा<br>आय कर भुगतान   | 6,42,35,00,212                | 42,01,75,89,110                    |
| ख     | वैंकों के पास मियादी जमा आय कर भुगतान पूर्व अदा किए गए व्यय 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए सकल आय का उपयोग   | 6,42,35,00,212 16,40,40,728   | 40,93,59,40,940.0                  |
| ৰ 2.1 | वैंकों के पास मियादी जमा आय कर भुगतान पूर्व अदा किए गए व्यय 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए सकल आय का उपयोग   | 6,42,35,00,212 16,40,40,728   | 40,93,59,40,940.0                  |
|       | बैंकों के पास मियादी जमा<br>आय कर भुगतान<br>पूर्व अदा किए गए व्यय  | 6,42,35,00,212 16,40,40,728   | 40,93,59,40,940.0                  |
| 2.1   | वैंकों के पास मियादी जमा आय कर भुगतान पूर्व अदा किए गए व्यय  31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए सकल आय का उपयोग  यह सूचित किया जाता है कि कुल रु 1,08,16,48,176/- की वृद्धि को आय के उपयोग के रूप में  | 6,42,35,00,212 16,40,40,728   | 40,93,59,40,940.0                  |
|       | वैंकों के पास मियादी जमा आय कर भुगतान पूर्व अदा किए गए व्यय  31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए सकल आय का उपयोग  यह सूचित किया जाता है कि कुल रु 1,08,16,48,176/- की वृद्धि को आय के उपयोग के रूप में  | 6,42,35,00,212 16,40,40,728   | 40,93,59,40,940.0                  |
| 2.1   | वैंकों के पास मियादी जमा आय कर भुगतान पूर्व अदा किए गए व्यय  31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए सकल आय का उपयोग  यह सूचित किया जाता है कि कुल रु 1,08,16,48,176/- की वृद्धि को आय के उपयोग के रूप में कानूनन सुस्थापित प्रस्तावना निम्नानुसार है:  (क) आवश्यक नहीं है कि " लागू "का अर्थ " व्यय " नहीं है  | 6,42,35,00,212 16,40,40,728   | 40,93,59,40,940.0                  |
| 2.1   | वैंकों के पास मियादी जमा आय कर भुगतान पूर्व अदा किए गए व्यय  31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए सकल आय का उपयोग  यह सूचित किया जाता है कि कुल रु 1,08,16,48,176/- की वृद्धि को आय के उपयोग के रूप में  | 6,42,35,00,212 16,40,40,728   | 40,93,59,40,940.0                  |
| 2.1   | वैंकों के पास मियादी जमा आय कर भुगतान पूर्व अदा किए गए व्यय  31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए सकल आय का उपयोग  यह सूचित किया जाता है कि कुल रु 1,08,16,48,176/- की वृद्धि को आय के उपयोग के रूप में कानूनन सुस्थापित प्रस्तावना निम्नानुसार है: (क) आवश्यक नहीं है कि "लागू "का अर्थ " व्यय " नहीं है (ख) "लागू " शब्द को , निर्धारित प्रावधान के उद्देश्य के आधार पर व्यापक अर्थ प्रदान किया गया है।  | 6,42,35,00,212 16,40,40,728   | 40,93,59,40,940.0<br>1,08,16,48,17 |
| 2.1   | वैंकों के पास मियादी जमा आय कर भुगतान पूर्व अदा किए गए व्यय  31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए सकल आय का उपयोग  यह सूचित किया जाता है कि कुल रु 1,08,16,48,176/- की वृद्धि को आय के उपयोग के रूप में कानूनन सुस्थापित प्रस्तावना निम्नानुसार है: (क) आवश्यक नहीं है कि "लागू "का अर्थ " व्यय " नहीं है (ख) "लागू " शब्द को , निर्धारित प्रावधान के उद्देश्य के आधार पर व्यापक अर्थ प्रदान किया गया है ।  उपयोग की गई आय का कुल  | 6,42,35,00,212 16,40,40,728   | 1,08,16,48,176.0                   |
| 2.1   | वैंकों के पास मियादी जमा आय कर भुगतान पूर्व अदा किए गए व्यय  31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए सकल आय का उपयोग  यह सूचित किया जाता है कि कुल रु 1,08,16,48,176/- की वृद्धि को आय के उपयोग के रूप में कानूनन सुस्थापित प्रस्तावना निम्नानुसार है: (क) आवश्यक नहीं है कि "लागू "का अर्थ " व्यय " नहीं है (ख) "लागू " शब्द को , निर्धारित प्रावधान के उद्देश्य के आधार पर व्यापक अर्थ प्रदान किया गया है।  | 6,42,35,00,212 16,40,40,728   | 40,93,59,40,940.0                  |



|          | ANNEXURE "A"   |                                  |                |
|----------|--|----------------------------------|----------------|
|          | NEIA TRUST   | 1 2010                           |                |
|          | ACCOUNTING YEAR ENDED 31ST MARCH   | 1, 2019                          |                |
|          | ASSESSMENT YEAR : 2019-20  |                                  |                |
|          | 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1   |                                  | 02r:-          |
| 1        | Amount of income of the previous year applied to charitable or religious p       | durposes in india during the y   | ear            |
|          |  | Amount in Rs                     | Amount in Rs   |
|          | Particulars Aggregate income referred to in sections 10, 11 & 12                 | 4,73,86,01,397                   | 7 anoune mine  |
|          | Aggregate income referred to in sections 10, 11 & 12                             | 4,73,00,01,337                   |                |
|          | Less:-   |                                  |                |
|          | Expenditure Incurred on the objects of the Trust during the year                 | 5,45,01,22,605                   |                |
|          |  |                                  |                |
|          | Restricted too the income of the curre   | ent year                         | 4,73,86,01,39  |
|          |  |                                  |                |
| Α .      | Application of Income for the year ended 31.03.2019                              |                                  | 4,73,86,01,397 |
|          |  |                                  |                |
| 2        | In quantifying the income applied during the year, increase in aggregate balar   | nces of the following as of 31st | March, 2019 as |
|          |  |                                  | A De           |
|          | Particulars  | Amount in Rs                     | Amount in Rs   |
|          | For the year ended 31.03.2019  | 04.50.05.00.000                  |                |
|          | Fixed Deposits with Banks  | 34,69,96,00,000                  |                |
|          | Income Tax Payments  | 7,14,69,18,758                   | 42.01.75.00.11 |
|          | Prepaid expenses   | 17,10,70,359                     | 42,01,75,89,11 |
|          |  |                                  |                |
|          | For the year ended 31.03.2018  | 34,34,84,00,000                  |                |
|          | Fixed Deposits with Banks  | 6,42,35,00,212                   |                |
|          | Income Tax Payments  | 16,40,40,728                     | 40,93,59,40,94 |
|          | Prepaid expenses   | 10,40,70,728                     | 40,73,37,10,71 |
|          |  |                                  | 1,08,16,48,17  |
| <u>B</u> | Application of aggregate Income for the year ended 31.03.2019                    |                                  | 1,00,20,10,21  |
| 1.1      | It is submitted that such increase aggregating to Rs. 1,08,16,48,176/- has to be | be considered as application of  | income.        |
| 2        | Following are the well settled proposition in law:                               |                                  |                |
|          | (a) The word "applied" did not necessarily mean "spent".                         |                                  |                |
|          | (b) The word "application" has to be given wider interpretation, keeping in      | view                             | *1             |
|          | the purpose for which the provision has been introduced.                         |                                  |                |
| 3        | Total of Income Applied:   |                                  |                |
|          | (a) Refer B Above  |                                  | 1,08,16,48,17  |
|          | (b)Expenditure incurred during the year  |                                  | 5,45,01,22,60  |
|          | V  |                                  | 6,53,17,70,78  |



v ...

ĘĠ

E.

100

•

ÇĐ





#### अनुबंध ख एन ई आई ए न्यास (टस्ट) 31 मार्च 2019 को समाप्त लेखा वर्ष मल्यांकन वर्ष 2019-20

#### कल आय की गणना का विवरण

|         | बिबरण  | साशि रु में | टिप्पणी<br>संदर्भ सं | राशि रु में    | राशि रु में                        |
|---------|--|-------------|----------------------|----------------|------------------------------------|
|         | आय एवं न्यय के खाते के अनुसार अधिशेष आय            |             |                      |                | 4,73,86,01,397                     |
| घटाएँ : | टुस्ट के उद्देश्यों पर किया गया व्यय               |             |                      |                |                                    |
|         | वर्ष के दौरान किया गया व्यय                        |             |                      | 5,45,01,22,605 |                                    |
|         | घटाएँ : सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासनिक निधि में अंशदान |             | 2                    | 9,42,59,627    | (5,35,58,62,978)<br>(61,72,61,582) |
|         | घटाएँ : भारा 11(1)(क )के अभीन जमा करने योग्य       |             | 3                    |                | (71,07,90,209)                     |
|         | सकल आय यथा 4,69,45,43,519/- का 15%                 |             |                      |                |                                    |
| घटाएँ : | प्रभारित आय [अनुलग्नक क का संदर्भ लें ]            |             | 4                    |                | (1,08,16,48,176)                   |
|         |  |             |                      |                |                                    |
|         | देव कर की गणना                                     |             |                      |                | राशि                               |
|         | आय कर  |             |                      |                | कोई नहीं                           |
| घटाएँ : | स्रोत पर कर कटौती                                  |             |                      | 29,20,79,182   |                                    |
| घटाएँ : | अग्रिम कर  |             |                      | 36,00,00,000   | 65,20,79,182                       |
|         | देय अर्जन  |             |                      |                | 65,20,79,182                       |

#### नोट

- 1 संदर्भ : आय कर अधिनियम 1961 ( अधिनियम ) की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार लाग्
- 1.1 कर निर्धारिती का निपटान भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
- 1.2 अधिनियम की धारा 2(15) के लागू प्रावधानों के संदर्भ में ट्रस्ट के उद्देश्य धर्मार्थ उद्देश्य हैं अथवा नहीं, इसविषय में मूल्यांकन अधिकारी एवं ट्रस्ट के मध्य मतभेद हैं।
- 1.3 मूल्यांकन अधिकारी की राव में, उक्त उप-अनुभाग के प्रावधान में ट्रस्ट का उद्देश्य चेरिटेबल नहीं हैं, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्धारित राव के मतानुसार ट्रस्ट का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति के किसी अन्य उद्देश्य से शेणी में आते हैं।
- 1.4 अतः , मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पिछले वर्षों के लिए निर्धारिती की आय का आकलन करने में अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है।
- 1.5 ट्रस्ट द्वारा अपीलीय अधिकारियों के समक्ष मूल्यांकन अधिकारी की उक्त कार्रवाई का विरोध किया गया है।
- 1.6 दिनांक 18-01-2019 को आई टी ए टी द्वारा एन ई आई ए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। आई टी ए टी के मत में एन ई आई ए ट्रस्ट चेरिटेबल ट्रस्ट की श्रेणी के अंतर्गत आता है।
- 1.7 जजर बताई गई कुल आय दूसर के पूर्ण विश्वास पर आधारित है कि इसका उद्देश्य अधिनियम की धारा 2(15) के तहव परिभाग के अनुसार चेरिटेक्ल हैं और इसलिए, अधिनियम की धारा 11 को वर्ष के लिए आप का आकलन करने के लिए लाग किया जाना है।
- 2 संदर्भ : सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट ) प्रशासनिक निधि को रु 9,42,59,627/- का अंशदान

बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 की घारा 58 के प्रावधान के अधीन ट्रस्ट हारा उक्त अधिनियम की अनुसूची IXC के अंतर्गत दशाई गई आय के 2% की हिस्से को सार्वजनिक न्यास प्रशानिक निष्ध में योगदान किया जाना अनिवार्थ है।
एक अन्य ट्रस्ट ने उक्त प्रावधान को बुनोतों दो है एवं सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट के घड में इस तरह के योगदान के मुगतान के लिए स्टे ऑडर्स जारी किया है। अतिम निर्णय लंदित है। स्टे हिए जाने के कारण संबंधित प्राधिकारी हारा भुगतान स्वीकार
नहीं
किया जा रहा है। इसलिए, यह योगदान लंकित रहा है। वर्ष के लिए कुल आय का निर्धारण करने में, उक्त योगदान को भुगतान की कमी के कारण महत्वपूर्ण कारक के रूप में कटोती योग्य नहीं माना गया है। इसमें निर्धारिती के तर्क का पूर्वग्रह की
इस प्रकार के प्रावधान को सांविधिक माना जाये एवं इसे ट्रस्ट के उदेरयों पर किए जाने वाले व्यव में शामिल किया जाये एवं उसे वर्ष के वीरान हुई आय से उसकी कटोती की जाये।

3 संदर्भ : सकल प्राप्तियों पर धारा 11(1)(ए) के अधीन पात्रता का आधार

निम्नलिखित न्यायिक घोषणाओं पर विश्वास किया गया है:

- (क) आयकर आयुक्त बनाम सामुदायिक संगठन के लिए कार्यक्रम [248 आईटीआर 1] (एससी) 28.11.2000
- (ख) आयक्त आयुक्त बनाम सामुदायिक संगठन के लिए कार्यक्रम [228 आईटीआर 620] (केरल एचसी) 25.10.1996
- 4 1.08.16.48.176/- ह का घाटा

मूल्यांकनकर्ता की राय में ऊपर उल्लेखित "याटे" और/या "याटे" के रूप में मूल्यांकन किया जाए जिसे जो बाद के वर्ष (वर्षों) में होने वाली कुल आय में सेट-ऑफ किया जा सकता है।



# ANNEXURE - "B" NEIA TRUST G YEAR ENDED 31ST MARCH, 201:

# ACCOUNTING YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019 ASSESSMENT YEAR: 2019-20

### STATEMENT OF COMPUTATION OF TOTAL INCOME

|       | Particulars  | Amount in Rs   | Note<br>Ref No | Amount in Rs   | Amount in Rs     |
|-------|--|--|----------------|----------------|------------------|
|       | Surplus as per Income & Expenditure Account                |  |                |                | 4,73,86,01,397   |
| Less: | Expenditure Incurred on the objects of the Trust           |  |                |                |                  |
|       | Incurred during the year                                   |  |                | 5,45,01,22,605 |                  |
|       | Less :Contribution to Public Trust Admin. Fund             |  | 2              | 9,42,59,627    | (5,35,58,62,978) |
|       |  | •  |                |                | (61,72,61,582)   |
|       | Less: Allowed to be accumulated under section 11(1)(a) of: |  |                |                |                  |
|       | 15% of Gross Income i.e. of Rs. 4,69,45,43,519/-           |  | 3              |                | (71,07,90,209)   |
|       | Less : Income applied [Refer Annexure "A"]                 |  | 4              |                | (1,08,16,48,176) |
|       | COMPUTATION OF TAX PAYABLE                                 |  |                |                | Amount           |
|       | Income Tax   |  |                |                | Nil              |
| Less: | Tax Deducted at Source                                     |  |                | 29,20,79,182   |                  |
| Less: | Advance Tax  | Amount in Rs Ref No Amount in Rs enditure Account  objects of the Trust  5,45,01,22,605  Frust Admin. Fund  2 9,42,59,627  ented under section 11(1)(a) of: s. 4,69,45,43,519/-  Annexure "A"]  ABLE | 65,20,79,182   |                |                  |
|       | Refund Due   |  |                |                | 65,20,79,182     |

#### Notes:

- 1 Re: Application of provisions of Section 11 of the Income Tax Act, 1961 (the Act):
- 1.1 The assessee is settled by the Government of India.
- 1.2 There is a difference of opinion by and between the AO and the assessee as to whether the objects of the assessee are charitable purposes within the meaning assigned to it in terms of the applicable provisions of Section 2(15) of the Act.
- 1.3 In the opinion of the AO, the objects of the assessee are not charitable purposes as the proviso to the said sub-section is applicable, Keeping in view the opinion formed by the AO that the objects of the assessee are falling in the category of advancement of any other object of general public utility.
- 1.4 Hence, the AO has not applied the provisions of Section 11 of the Act in assessing the income of the assessee for earlier years.
- 1.5 The assessee is contesting the said action of the AO before the appellate authorities.
- 1.6 ITAT has pronounced the order on 18.01.2019 in favour of the NEIA Trust. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust.
- 1.7 The total income quantified hereinabove is based on the bonafide belief of the assessee that its objects are charitable purposes as defined under Section 2(15) of the Act and hence, Section11 of the Act has to be applied in assessing the income for the year.

#### 2 Re: Contribution to Public Trust Admin. Fund of Rs.9,42,59,627/-

Under provision of section 58 of Bombay Public Trust Act 1950, Trust is required to make contribution to the Public Trust Administration Fund @ 2% of the income shown under schedule IXC of the said Act. Another Trust has challenged the said provision and Supreme Court has issued a stay order for payment of such contribution in favour of the trust. Final judgment is pending. Due to stay granted, the concerned authority is not accepting payment. Hence, said contribution has remained unpaid. In determining total income for the year, the said contribution is considered as not deductible for want of payment as a matter of abundant cause. This is Without Prejudice to the contention of the assessee, that such provision being statutory provision has to be considered as expense incurred on objects of trust and Hence, be deducted in determining total income for the year.

### Re: Basis of quantification u/s 11(1)(a) on Gross Reciepts

Reliance is placed on following judicial pronouncements:

- (a) Commissioner of Income Tax v Programme for Community Organisation [248 ITR 1] (SC) 28.11.2000
- (b) Commissioner of Income Tax v Programme for Community Organisation [228 ITR 620] (Kerala HC) 25.10.1996

4 Deficit of Rs. 1,08,16,48,176/-

In the opinion of the assessee the "deficit" as determined above and/or "Deficit" as may be assessed be account to be carried forward for set-off in determining total income for the subsequent year(s).



# अनुबंध - "घ"

- ट्रस्ट और ट्रस्ट के मूल्यांकन अधिकारी (एओ) के बीच निम्नलिखित मुद्दों पर मतभेद है:
  - (क) क्या ट्रस्ट के उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 2(15) में उल्लिखित परिभाषा को ध्यान में रखते हुए "चैरिटेबल उद्देश्य" हैं।
  - (ख) क्या अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को "कुल आय" निर्धारित करने में लागू करना होगा।
- 2. मूल्यांकन अधिकारी की राय में:
  - (क) अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधान की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट के उद्देश्य " चैरिटेबल उद्देश्य" नहीं हैं।
  - (ख) अतः , अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान ट्रस्ट की आय के निर्धारन में लागू नहीं होते हैं।
- 3. उक्त राय के अनुसार, 31 मार्च, 2010 से 31 मार्च 2014 तक समाप्त पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए आय का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन अधिकारी की राय पर ट्रस्ट द्वारा अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष विरोध दर्ज किया किया गया। मूल्यांकन वर्ष 2010-11 के लिए दिनांक 12-07-2018 को आई टी ए टी बेंच के द्वारा सुनवाई पूर्ण हुई। दिनांक 18-01-2019 को आई टी ए टी द्वारा एन ई आई ए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। आई टी ए टी के मत में एन ई आई ए ट्रस्ट चेरिटेबल ट्रस्ट की श्रेणी के अंतर्गत आता है।
- 4. निर्देशानुसार, ट्रस्ट द्वारा निम्नलिखित तथ्यों के होते हुए भी, आय के संचय के लिए अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया जा रहा है :-
  - (क) ट्रस्ट निधि के राजस्व मद में में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - भारत के केंद्र सरकार से प्राप्त राशि जो की वापसी योग्य जो कि कोष/सहायता में योगदान के रूप में (जैसा भी लागू हो)
    - (ii) वित्त वर्ष के दौरान आय का व्यय से अधिक होने से अधिशेष
  - (ख) बैंकों के पास निवेश की गयी सावधि जमा के रूप में ट्रस्ट निधि / राजस्व आय की अव्ययित शेष।
- 5. ट्रस्ट की राय में, उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2019 तक समाप्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष (वर्षों) की ट्रस्ट की अव्ययित आय को अनुलग्नक क -कुल आय का संगत अभिन्न भाग है में की गई गणना के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान लागू के रूप में माना जाना चाहिए।



- 6. ट्रस्ट द्वारा, इस तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि वित्तीय वर्ष की आय के की गणना के निर्धारण में, निम्नलिखित शेष राशि को भी शामिल किया जाना होगा, अधिनियम की धारा 11(2) के विकल्प का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जा रहा है:
- (क) बैंकों के पास निवेशित सावधि जमा
- (ख) पूर्व प्रदत्त व्यय
- (ग) प्रदत्त कर
- 7. आगे, ट्रस्ट की राय में यदि अंततः आय के निर्धारण के संबंध में ऊपर विवरित अनुसार ट्रस्ट के तर्क कि अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन आय के निर्धारण हेतु विकल्प का उपयोग किया गया है, को स्वीकार नहीं किया जाता तब प्रदत्त बीमा रक्षा के अनुकरण में ट्रस्ट पर बनने वाले संभावी दावों की राशि को दर्शाते हुए बीमा रक्षा के संबंध में बकाया जोखिम पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के जोखिमों की राशि उस अधिशेषित आय की राशि से काफी अधिक है जिस पर दिनांक 31 मार्च 2007/ दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (वर्षों) के लिए अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया गया।



## ANNEXURE - "D"

- There is a difference of opinion between the Assessing Officer (AO) of the 1. Trust and the Trust as to following:
  - Whether the objects of the Trust are "Charitable Purpose" keeping (a) in view the definition thereof in Section 2(15) of the Income Tax Act, 1961 (the Act).

Whether the provisions of Section 11 of the Act have to be applied (b)

in determining "Total Income".

In the opinion of the AO: 2.

the objects of the Trust are not "Charitable Purpose" keeping in (a) view the applicability of Proviso to Section 2(15) of the Act.

Hence, provisions of Section 11 of the Act have not to be applied in (b)

determining income of the Trust.

- In terms of the said opinion, the assessment of income is made for 3. previous year(s) ended 31st March, 2010 to 31st March; 2014. The opinion of AO is contested by the Trust before appellate authorities. The hearing for AY 2010-11 was heard and completed in the ITAT Bench for AY 2010-11 on 12.07.2018. ITAT pronounced the order on 18.01.2019 in favour of the NEIA Trust. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust.
- As advised, the Trust is exercising the option U/s. 11(2) of the Act for 4. accumulation of income, notwithstanding the following facts:

The revenue stream of the Trust Fund is represented by -(a)

Guarantee fee charged on insurance coverage issued in furtherance of the objects of the Trust;

Interest income earned on Fixed Deposit maintained with (ii)

Scheduled Bank representing unspent balances of the Trust Fund and revenue income.

The unspent balance lying to the Trust Fund / Revenue Income (b) remains invested in Fixed Deposits with Banks.

In the opinion of the Trust, keeping in view the aforesaid facts, the 5. unspent income of the Trust of each of the financial year(s) ended up to 31st March, 2019 has to be considered as applied during the relevant previous year as worked out in Annexure - A forming part of Statement of Total Income.







- 6. The Trust is exercising the option U/s.11(2) of the Act as an abundant caution which is without prejudice to its contention that in determining the application of income of the financial year, following balances have to be considered:
  - (a) Fixed Deposit placed with Scheduled Bank;
  - (b) Pre-paid expenses;
  - (c) Taxes paid.
- 7. Further, in the opinion of the Trust, even if the contention of the Trust as explained in relation to application of income is not accepted finally, then, for the purpose of determining whether the Trust has applied the income in respect of which the option is exercised U/s.11(2) of the Act, the outstanding exposure in relation to the insurance coverage has to be considered representing the amount of claims which can devolve upon the Trust pursuant to the insurance coverage provided. The amount of such exposure far exceeds the surplus income in respect of which the option is exercised U/s.11(2) of the Act for the year(s) ended 31st March, 2007/31st March, 2019.







<u>अनुलग्नक "सी"</u> <u>फार्म नंबर 10</u> [नियम 17 देखें]

# आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 (2) के तहत मूल्यांकन अधिकारी / निर्धारित प्राधिकारी को नोटिस

प्रति, सहायक आयकर निदेशक (छूट) II (2), मुंबई

- 1. मैं एम संधितनाथन, प्रबंध ट्रस्टी, एनईआईए ट्रस्ट की ओर से आपके संज्ञान मे लाता हूँ कि, ट्रस्टियों द्वारा दिनांक 23/09/2019 को पारित एक प्रस्ताव में यह निश्चित किया गया है कि (प्रति संलग्न) पिछले वर्ष के लिए ट्रस्ट की आय में से, मूल्यांकन वर्ष 2019-20 से संबन्धित, ट्रस्ट की आय की राशि. कुछ नहीं, जो कि पिछले वर्ष उपलब्ध थी, को ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ण करने में ट्रस्टी को सक्षम बनाने हेतु 31 मार्च 2024 तक अलग रखी जाए अथवा जमा किया जाए :-
  - क. राष्ट्रीय हित में मध्यम और दीर्घकालिक निर्यातकों के लाभ के लिए एनईआईए योजना को लागू करना।
  - ख. मध्यम और दीर्घकालिक निर्यातकों के लाभ के लिए भारत सरकार समय-समय पर इस तरह की अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए ढांचा तैयार कर सके और ट्रस्ट को उसे लागू करने का निर्देश दे सके ।
  - ग. अल्पाविध निर्यातकों के लाभ के लिए भारत सरकार समय-समय पर ऐसी अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए ढांचा तैयार कर सके और ट्रस्ट को लागू करने का निर्देश दे सके।
- 2. 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के अंत से प्रारम्भ होने वाले छः महीनों की समाप्ति से पूर्व वह राशि जो संचित अथवा अलग रखी गई थी उसे धारा 11 के उपभाग (5) में निर्दिष्टित किसी एक या एक से अधिक साधनों में निवेश या जमा किया गया है।
- 3. ट्रस्ट के वार्षिक लेखों की प्रति निवेश (जमा सिहत) व धन के उपयोग सिहत, यिद कोई है तो, जो कि संचित की गई है अथवा अलग रखी गई है, से संबन्धित जानकारी पिछले वर्ष के अंत के अगले छः माह की समाप्ति से पूर्व आपको दे दी जाएगी।
- 4. हमारे द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 11 (2) में निर्धिरत शर्तों के किए जा रहे पालन को देखते हुए यह निवेदन है कि उक्त में वर्णित संचित अथवा अलग रखी गई आय के संदर्भ में ट्रस्ट की आय में छूट देते हुए मूल्यांकन में अनुभाग का लाभ दिया जा सकता है।
- 5. इस नोटिस को नोट संख्या 1 और 4 के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए, जो कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय के विवरण का एक हिस्सा है, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

दिनांक 23-09-2019

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

एम सेंथिलनाथन (प्रबंधकीय ट्रस्टी) पता: C/o. ईसीजीसी लिमिटेड, एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.



# FORM NO.10 [See rule 17]

Notice to the Assessing Officer/Prescribed Authority under section 11(2) of the Income-tax Act 1961

To Assistant Director of Income Tax (Exemption) II (2), Mumbai.

1. I, M. Senthilnathan, Managing Trustee, on behalf of NEIA Trust hereby bring to your notice that it has been decided by a resolution passed by the trustees, on 23/09/2019 (copy enclosed) that, out of the income of the trust for the previous year, relevant to the assessment year 2019-20, an amount of Rs. Nil of the income of the trust, available at the end of the previous year(s) should be accumulated or set apart till the previous year(s) ending 31st March, 2024 in order to enable the trustees, to accumulate sufficient funds for carrying out the following purposes of the trust:--

a) To implement the NEIA Scheme for the benefit of Medium and Long term Exporters in National Interest.

(b) To implement such other schemes for the benefit of Medium and Long Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.

(c) To implement such other schemes for the benefit of Short Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.

- 2. Before expiry of six months commencing from the end of previous year ended 31st March, 2019, the amount so accumulated or set apart has been invested or deposited in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11.
- Copies of the annual accounts of the trust along with details of investment (including deposits) and utilization, if any, of the money so accumulated or set apart will be furnished to you before the expiry of six months commencing from the end of each relevant previous year.
- 4. It is requested that in view of our complying with the conditions laid down in section 11(2) of the income-tax Act, 1961, the benefit of that section may be given in the assessment of the trust exempting the income in respect of the trust in respect of the incomes accumulated or set apart as mentioned above.
- 5. This Notice is to be read in conjunction with Note Nos. 1 and 4 forming part of Statement of Income for the year ended 31st March, 2019, a copy whereof is annexed hereto.

Date: 23/09/2019

Signature

CII3'

ংজি ন. <sub>Ragn.</sub> No.

23384

ATR

M. Senthilnathan (Managing Trustee)

Address:C/o. ECGC Limited, Express Towers, 10th floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021.



दिनांक: 23-09-2019

निदेशक भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर टी आई बिल्डिंग, 6 वीं मंज़िल एशियन हार्ट हॉस्पिटल के पीछे बी के सी , बांद्रा - पूर्व , मुंबई

#### प्रमाण पत्र

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने ईसीजीसी लिमिटेड, एक्सप्रेस टॉवर, 10वीं मंजिल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021 में पंजीकृत पते पर स्थित एनईआईए ट्रस्ट की सावधि जमा रसीदों को भौतिक रूप से सत्यापित कर लिया है। 31 मार्च, 2019 तक कुल 3469.96 करोड़ रू की सावधि जमा रही जिनका का विवरण निम्नानुसार है:

|           | 31मार्च, 2019 तक प्रभावी जमाओं के विवरण |                      |                        |                          |                       |  |
|-----------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| क्र<br>सं | जमा की<br>तारीख                         | बैंक का नाम          | उपकरण सं .             | राशि ( करोड़ रु<br>में ) | परिपक्वता की<br>तारीख |  |
| 1         | 02-मई 18                                | रत्नाकर बैंक लिमिटेड | 709004856353           | 90.00                    | 3-मई 19               |  |
| 2         | 14-मई 18                                | एच डी एफ सी बैंक     | 50300252462551         | 6.80                     | 19 ਸई 19              |  |
| 3         | 21 मई 18                                | येस बैंक             | 000440400068390/1      | 136.80                   | 21 मई 19              |  |
| 4         | 22- मई -<br>18                          | रत्नाकर बैंक लिमिटेड | 709004872483           | 12.40                    | 24मई 19               |  |
| 5         | 23- मई 18                               | एच डी एफ सी बैंक     | 50300253978230         | 370.50                   | 24मई 19               |  |
| 6         | 24- मई 18                               | रत्नाकर बैंक लि      | 709004878256           | 90.30                    | 24मई 19               |  |
| 7         | 01 जून 18                               | येस बैंक             | 000440400068480/1      | 19.00                    | 1 जून 19              |  |
| , 8       | 06ं जून 18                              | कोटक महिंद्रा बैंक   | 8512035657             | 385.25                   | 6 जून 19              |  |
| 9         | 12 जून 18                               | येस बैंक             | 000440400068902/1      | 147.65                   | 13 जून 19             |  |
| 10        | 13 जून 18                               | येस बैंक             | 000440400068912/1      | 51.25                    | 13 जून 19             |  |
| 11        | 15 जून 18                               | सिडबी                | एमएचओएफ़डी01750        | 80.70                    | 15 जून 19             |  |
| 12        | 18 जून 18                               | सिडबी                | एम एच ओ एफ डी<br>01760 | 281.00                   | 18 जून 19             |  |
| 13        | 19 जून 18                               | इंडसइंड बैंक         | 300725124235           | 47.05                    | 20 जून 19             |  |



|    | 40             | 3.                  | 200725124229      | 13.25  | 20 जून 19              |
|----|----------------|---------------------|-------------------|--------|------------------------|
| 14 | 20 जून 18      | इंडसइंड बैंक        | 300725124228      |        | 28 जून 19              |
| 15 | 25 जून 18      | कोटक महिंद्रा बैंक  | 8512345442        | 3.40   |                        |
| 16 | 28 जून 18      | कोटक महिंद्रा बैंक  | 8512347460        | 10.10  | 28 जून 19              |
| 17 | 06 जुलाई<br>18 | येस बैंक            | 00440400069761/1  | 4.80   | 9 जुलाई 19             |
| 18 | 9 जुलाई 18     | इंडसइंड बैंक        | 300725394744      | 60.20  | 9 जुलाई 19             |
| 19 | 16 जुलाई<br>18 | एच डी एफ सी लिमिटेड | पीडी/1375916      | 6.05   | 16 जुलाई 19            |
| 20 | 20 जुलाई<br>18 | इंडसइंड बैंक        | 300725138409      | 277.55 | 20 जुलाई 19            |
| 21 | 23 जुलाई<br>18 | एच डी एफ सी लिमिटेड | पीडी/1380310      | 208.00 | 23 जुलाई 19            |
| 22 | 7 अगस्त 18     | एच डी एफ सी लिमिटेड | पीडी/1387795      | 185.95 | ७ अगस्त१९              |
| 23 | ७ अगस्त १८     | येस बैंक            | 000431400000015/1 | 40.50  | ७ अगस्त१९              |
| 24 | ७ अगस्त १८     | एच डी एफ सी बैंक    | 50300269581760    | 22.70  | ७ अगस्त१९              |
| 25 | ७ अगस्त १८     | फेडरल बैंक          | 10990300457488    | 5.00   | ७ अगस्त१९              |
| 26 | ७ अगस्त १८     | फेडरल बैंक          | 10990300457496    | 5.00   | ७ अगस्त१९              |
| 27 | ७ अगस्त १८     | फेडरल बैंक          | 10990300457504    | 5.00   | ७ अगस्त१९              |
| 28 | ७ अगस्त १८     | फेडरल बैंक          | 10990300457512    | 5.00   | ७ अगस्त१७              |
| 29 | ७ अगस्त १८     | फेडरल बैंक          | 10990300457520    | 5.00   | ७ अगस्त१७              |
| 30 | ७ अगस्त १८     | फेडरल बैंक          | 10990300457538    | 5.00   | ७ अगस्त१७              |
| 31 | ७ अगस्त १८     | फेडरल बैंक          | 10990300457546    | 5.00   | ७ अगस्त19              |
| 32 | ७ अगस्त १८     | फेडरल बैंक          | 10990300457553    | 5.00   | ७ अगस्त१९              |
| 33 | ७ अगस्त १८     | फेडरल बैंक          | 10990300457561    | 5.00   | ७ अगस्त१९              |
| 34 | ७ अगस्त १८     | फेडरल बैंक          | 10990300457579    | 5.00   | <sup>-</sup> 7 अगस्त19 |
| 35 | ७ अगस्त १८     | फेडरल बैंक          | 10990300457587    | 3.10   | ७ अगस्त१९              |
| 36 | 14 अगस्त<br>18 | आर बी एल बैंक लि    | 709005340226      | 4.36   | 14 अगस्त 19            |
| 37 | 20 अगस्त<br>18 | फेडरल बैंक          | 12850300193418    | 2.70   | 23 अगस्त 19            |
| 38 | 23 अगस्त<br>18 | कर्नाटक बैंक        | 1011500200674701  | 50.60  | 31 अगस्त 19            |
| 39 | 31 अगस्त<br>18 | आंध्र बैंक          | 040220100125883   | 3.50   | 31 अगस्त 19            |



| 40     | 15 सितंबर  | C 3:                       | F00702E01000222 | 174.60 | 16 सितंबर 19           |  |
|--------|------------|----------------------------|-----------------|--------|------------------------|--|
|        | 18         | विजया बैंक                 | 500703501000333 | 174.00 | 10 1000                |  |
| 41     | 25 सितंबर  |                            |                 |        | or <del>fries</del> 10 |  |
| 41     | 18         | विजया बैंक                 | 500703501000334 | 6.20   | 25 सितंबर 19           |  |
| 40     | 29 सितंबर  |                            | 373700एल        |        | 0.                     |  |
| 42     | 18         | पंजाब नेशनल बैंक           | आर00000082      | 171.50 | 29 सितंबर 19           |  |
|        | 10 अक्टूबर | पंजाब नेशनल बैंक           | 127400 एल आर    |        |                        |  |
| 43     | 18         |                            | 00000039        | 19.75  | 10 अक्टूबर 19          |  |
| W 2000 | 01 नवंबर   | विजया बैंक                 |                 |        |                        |  |
| 44     | 18         |                            | 500703501000346 | 169.75 | 1 नवंबर 19             |  |
|        | 15 नवंबर   | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया      |                 |        |                        |  |
| 45     | 18         |                            | 378903030091578 | 160.90 | 15 नवंबर 19            |  |
|        | 15 जनवरी   | ओरिएंटल बैंक ऑफ            |                 |        |                        |  |
| 46     | 19         | कॉमर्स                     | 10453091004056  | 13.95  | 15 जनवरी 20            |  |
|        | 11 फरवरी   |                            |                 |        |                        |  |
| 47     | 19         | कापरिशन बैंक               | 530401035538629 | 18.45  | 11 फरवरी 20            |  |
|        | 16 फरवरी   | 59 50 JOS 5 0350 50 MINUSU | ja .            |        |                        |  |
| 48     | 19         | विजया बैंक                 | 500703501000375 | 6.50   | 17 फरवरी 20            |  |
|        | 30 मार्च   |                            | 127400एल आर     |        |                        |  |
| 49     | 19         | पंजाब नेशनल बैंक           | 00000048        | 62.90  | 30 मार्च 20            |  |
|        | 10         | कुल                        | 3469.96         |        |                        |  |
|        | 3**        |                            |                 |        |                        |  |

कृते

कृते एल एन मारू एंड कं

सनदी लेखाकर

फार्म पंजीकरण सं .: 106069W

हस्तासारत

सी ए एल एन मारू भागीदार सदस्यता सं .: - 033246

यूडीआईएन :19033246 ए ए ए ए ए उफ्2315





Chartered Accountants

220, Wadala Udyog Bhavan, MMGS Marg, Dadar-Wadala, Mumbai - 400 031. Office : 022-2412 2382 Email : info@calnmaru.com | Website : www.calnmaru.com

Date: 23/09/2019

The Director, Comptroller & Auditor General of India, RTI Building, 6<sup>th</sup> Floor, Behind Asian Heart Hospital, BKC Bandra East, Mumbai

#### CERTIFICATE

We hereby certify that we have physically verified Fixed Deposits receipts of NEIA Trust, having its registered address at NEIA Trust C/O ECGC Limited, Express Tower, 10<sup>th</sup> Floor, Nariman Point, Mumbai – 400021. The total Fixed Deposits receipts amounting to Rs. 3,469.96 Crores as on 31<sup>st</sup> March, 2019. Details of the Fixed Deposits are mentioned here under:

|            |                    | Details of Deposits | in force as on 31st Mai | rch, 2019              |                     |
|------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Sr.<br>No. | Date of<br>Deposit | Name of the Bank    | Instrument No.          | Amount (Rs. in Crores) | Date of<br>Maturity |
| 1          | 2-May-18           | Ratnakar Bank Ltd   | 709004856353            | 90.00                  | 3-May-19            |
| 2          | 14-May-18          | HDFC Bank           | 50300252462551          | 6.80                   | 19-May-19           |
| 3          | 21-May-18          | Yes Bank            | 000440400068390/1       | 136.80                 | 21-May-19           |
| 4          | 22-May-18          | Ratnakar Bank Ltd   | 709004872483            | 12.40                  | 24-May-19           |
| 5          | 23-May-18          | HDFC Bank           | 50300253978230          | 370.50                 | 24-May-19           |
| 6          | 24-May-18          | Ratnakar Bank Ltd   | 709004878256            | 90.30                  | 24-May-19           |
| 7          | 1-Jun-18           | Yes Bank            | 000440400068480/1       | 19.00                  | 1-Jun-19            |
| 8          | 6-Jun-18           | Kotak Mahindra Bank | 8512035657              | 385.25                 | 6-Jun-19            |
| 9          | 12-Jun-18          | Yes Bank            | 000440400068902/1       | 147.65                 | 13-Jun-19           |
| 10         | 13-Jun-18          | Yes Bank            | 000440400068912/1       | 51.25                  | 13-Jun-19           |
| 11         | 15-Jun-18          | SIDBI               | MHOFD01750              | 80.70                  | 15-Jun-19           |
| 12         | 18-Jun-18          | SIDBI               | MHOFD01760              | 281.00                 | 18-Jun-19           |
| 13         | 19-Jun-18          | IndusInd Bank       | 300725124235            | 47.05                  | 20-Jun-19           |
| 14         | 20-Jun-18          | IndusInd Bank       | 300725124228            | 13.25                  | 20-Jun-19           |
| 15         | 25-Jun-18          | Kotak Mahindra Bank | 8512345442              | 3.40                   | 28-Jun-19           |
| 16         | 28-Jun-18          | Kotak Mahindra Bank | 8512347460              | 10.10                  | 28-Jun-19           |
| 17         | 6-Jul-18           | Yes Bank            | 000440400069761/1       | 4.80                   | 9-Jul-19            |
| 18         | 9-Jul-18           | IndusInd Bank       | 300725394744            | 60.20                  | 9-Jul-19            |
| 19         | 16-Jul-18          | HDFC Limited        | PD/1375916              | 6.05                   | 16-Jul-19           |
| 20         | 20-Jul-18          | IndusInd Bank       | 300725138409            | 277.55                 | 20-Jul-19           |
| 21         | 23-Jul-18          | HDFC Limited        | PD/1380310              | 208.00                 | 23-Jul-19           |
| 22         | 7-Aug-18           | HDFC Limited        | PD/1387795              | 185.95                 | 7-Aug-19            |



| 23 | 7-Aug-18  | Yes Bank                     | 000431400000015/1 | 40.50  | 7-Aug-19  |
|----|-----------|------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| 24 | 7-Aug-18  | HDFC Bank                    | 50300269581760    | 22.70  | 7-Aug-19  |
| 25 | 7-Aug-18  | Federal Bank                 | 10990300457488    | 5.00   | 7-Aug-19  |
| 26 | 7-Aug-18  | Federal Bank                 | 10990300457496    | 5.00   | 7-Aug-19  |
| 27 | 7-Aug-18  | Federal Bank                 | 10990300457504    | 5.00   | 7-Aug-19  |
| 28 | 7-Aug-18  | Federal Bank                 | 10990300457512    | 5.00   | 7-Aug-19  |
| 29 | 7-Aug-18  | Federal Bank                 | 10990300457520    | 5.00   | 7-Aug-19  |
| 30 | 7-Aug-18  | Federal Bank                 | 10990300457538    | 5.00   | 7-Aug-19  |
| 31 | 7-Aug-18  | Federal Bank                 | 10990300457546    | 5.00   | 7-Aug-19  |
| 32 | 7-Aug-18  | Federal Bank                 | 10990300457553    | 5.00   | 7-Aug-19  |
| 33 | 7-Aug-18  | Federal Bank                 | 10990300457561    | - 5.00 | 7-Aug-19  |
| 34 | 7-Aug-18  | Federal Bank                 | 10990300457579    | 5.00   | 7-Aug-19  |
| 35 | 7-Aug-18  | Federal Bank                 | 10990300457587    | 3.10   | 7-Aug-19  |
| 36 | 14-Aug-18 | RBL Bank Ltd.                | 709005340226      | 4.36   | 14-Aug-19 |
| 37 | 20-Aug-18 | Federal Bank                 | 12850300193418    | 2.70   | 23-Aug-19 |
| 38 | 23-Aug-18 | Karnataka Bk                 | 1011500200674701  | 50.60  | 23-Aug-19 |
| 39 | 31-Aug-18 | Andhra Bank                  | 040220100125883   | 3.50   | 31-Aug-19 |
| 40 | 15-Sep-18 | Vijaya Bank                  | 500703501000333   | 174.60 | 16-Sep-19 |
| 41 | 25-Sep-18 | Vijaya Bank                  | 500703501000334   | 6.20   | 25-Sep-19 |
| 42 | 29-Sep-18 | Punjab National Bank         | 373700LR00000082  | 171.50 | 29-Sep-19 |
| 43 | 10-Oct-18 | Punjab National Bank         | 127400LR00000039  | 19.75  | 10-Oct-19 |
| 44 | 1-Nov-18  | Vijaya Bank                  | 500703501000346   | 169.75 | 1-Nov-19  |
| 45 | 15-Nov-18 | Union Bank of India          | 378903030091578   | 160.90 | 15-Nov-19 |
| 46 | 15-Jan-19 | Oriental Bank of<br>Commerce | 10453091004056    | 13.95  | 15-Jan-20 |
| 47 | 11-Feb-19 | Corporation Bank             | 530401035538629   | 18.45  | 11-Feb-20 |
| 48 | 16-Feb-19 | Vijaya Bank                  | 500703501000375   | 6.50   | 17-Feb-20 |
| 49 | 30-Mar-19 | Punjab National Bank         | 127400LR00000048  | 62.90  | 30-Mar-20 |
|    | Total     |                              |                   |        | 1         |

For L N Maru & Co. Chartered Accountants

for y

- - 64

\$\frac{1}{2}

źź

(is)

CA L N Maru

Partner FRN: 106069W

Membership No. 033246

UDIN: 19033246AAAAAF2315

MUMBAT

PRED ACCO

